LAYING OF THE REPORT OF THE
JUSTICE ASHOK KUMAR
ROOPANWAL (RETD.)
COMMISSION OF INQUIRY AND
MEMORANDUM OF ACTION
TAKEN THEREON ON THE TABLE
OF BOTH THE HOUSES OF
PARLIAMENT

LAYING OF THE REPORT OF THE JUSTICE ASHOK KUMAR ROOPANWAL (RETIRED) COMMISSION OF INQUIRY AND MEMORANDUM OF ACTION TAKEN THEREON

INDEX

Sl. No.	Content	Page No.
1	Gazette Notification of constitution of Commission of Inquiry	1
2	Gazette Notification of extension of term of the Commission of Inquiry	2
3	Report of the Commission of Inquiry	3-44
4	Memorandum of Action Taken by the Government	45-49
5	Letter to UGC for circulation of recommendations to all Central Universities for immediate implementation & compliance.	50-51

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2016

S.O. 325(E).— Whereas, Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar in the University of Hyderabad (a Central University) has died on 17th January, 2016;

And whereas, the Fact Finding Committee sent by the Ministry of Human Resource Development to inquire into the circumstances leading to the death of the research scholar and the subsequent agitation in the campus of University of Hyderabad has listed various incidents starting prior to August 2015;

And whereas, the facts brought out by the Fact Finding Committee required a detailed examination to identify acts of omission and commission on the part of various persons in the University, and to suggest steps for preventing such incidents in future;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retired) to enquire into the events at the University of Hyderabad, culminating in the death of Shri Chakravarti R. Venula

- 2. The terms of reference of the Commission shall be as follows:-
 - (i) to enquire into the facts and circumstances leading to the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar of University of Hyderabad, and fix responsibility for lapses, if any;
 - (ii) to review the existing grievance redressal mechanism for students at the University, and to suggest improvements.
- The Commission shall carry out its inquiry and submit its report and recommendations to the Central Government within three months from the date on which it is appointed.

[F. No. 7-5/2016 -Desk (U)]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2016

S.O. 1756(E).—whereas, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government vide notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development, No. SO 325(E), dated the 2nd February, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 2nd February, 2016, appointed a Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retd.) to enquire into the facts and circumstances leading to the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar of University of Hyderabad; to fix the responsibility for lapses, if any; to review the existing grievance redressal mechanism for students at the University; and to suggest improvements and to submit its report to the Central Government within three months from the date on which it is appointed;

And whereas, the Commission held its sitting at Hyderabad and met all the stakeholders and for examining the voluminous representations received from the large number of stakeholders, the Commission requires three months more time for examination in depth and to draw a conclusion;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extends the term of Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retd.) for a further period of three months with effect from the 2nd day of May, 2016 to 1st day of August, 2016.

[F. No. 7-5/2016-Desk U]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Jt. Secy.

REPORT BY THE COMMISSION OF INQUIRY REGARDING THE
DEATH OF SHRI CHAKRAVARTI R. VEMULA, A RESEARCH SCHOLAR
AT THE UNIVERSITY OF HYDERABAD, HYDERABAD

Background of the incident

On 30thJuly, 2015, "Namaz-e-Janaza" was organised by Ambedkar Students Association (ASA) in the campus of University of Hyderabad for a terrorist Yakub Memon who was involved in serial bomb blasts which took place in Mumbai in March 1993. Anti-national slogans were raised and banners with "Tum Kitne Yakub Maaroge, Har Ghar Se Yakub Niklega" were also shown.

In response to the above activities of ASA, Shri Nandanam Susheel Kumar, an ABVP activist posted on the face book on 3rd August, 2015 that "ASA goons are talking about hooliganism – feeling funny". The posting of N. Susheel Kumar on the face book was not liked by the members of the Ambedkar Students Association. In the night between 3rd & 4th August, 2015 about 30-40 ASA students went to Susheel Kumar and asked him to tender apology for the above post and remove the same from the face book. Shri Susheel Kumar anyhow managed to give a call to police informing about the threat to his life by the mob. This all happened at about 12.30 in the night.

Around 1.00 a.m. on 4th August, 2015, Dean Students Welfare, University of Hyderabad got an anonymous call that a large number of students have gathered at the hostel premises where Susheel Kumar was staying. The Dean called the security staff and asked them to go there and assess the situation. The security staff Mr. Dilip Singh and Mr. Venkateswaralu went to the concerned place and found that Mr. Susheel Kumar and a group of about 30-40 students had already gathered at the cycle stand near the hostel. They also observed that the crowd was repeatedly

The security staff tried to rescue Susheel Kumar in a security van but ASA students stopped them and forcibly pulled out Susheel Kumar from the van. Thereafter, the mob abused, manhandled and threatened Susheel Kumar to life and forced him to write an apology letter. After reading the letter, ASA students were not satisfied and they tore it out. Thereafter, the mob insisted on writing another apology letter which was dictated by the ASA students and was written by Susheel Kumar. The security staff, Mr. Dilip Singh was compelled by the ASA students to countersign the letter. The security staff tried to pacify the mob but they did not. The ASA students forced Susheel Kumar to sit in the security van with two ASA students. The van was followed by other ASA students. The ASA students took the van to the university main gate security office where few of the ASA students entered the security office and asked the security staff to activate the internet. Mr. Susheel Kumar was taken out of the security van and was forced to delete the aforementioned post from the face book. In the meantime, they observed that the post had been liked by a large number of persons, therefore, instead of getting the post deleted they forced Susheel Kumar to upload the apology letter. They also threatened and abused Susheel Kumar at this place. After seeing that the aforesaid post has been deleted they returned back to the main gate of the security office in search of Susheel Kumar but by that time he had left the campus.

After leaving the campus, Susheel Kumar was admitted to Archana Hospital, Madinaguda in the same night, i.e. 4th August, 2015 because of abdominal pain,

place in the night of 3/4 August, 2015. A counter application was also moved by one, Ms. Rupa on 4th August, 2015 to the Vice-Chancellor for the release of the three students, viz. Vincent, Prashanth and Ashok, all belonging to ASA who were arrested by the police in the early hours of 4th August, 2015.

The matter was referred to the Proctorial Board for inquiry. The Proctorial Board submitted its interim report on 12.08.2015 without examining Susheel Kumar who was admitted in the hospital. The interim report suggested that (i) a strong warning should be issued to Mr. Susheel Kumar for posting of such comments on face book and (ii) strong warnings should be issued to Mr. D. Prashanth, Mr. Vincent, Mr. Rohith Vemula, Mr. P. Vijay, Mr. Sunkanna and Mr. Seshu Chemudugunta for going to Susheel Kumar's room and hostel and asking for apology and deleting his comment from face book in the midnight, instead of complaining to appropriate authorities. These warning were issued to the concerned students.

Later on, the Proctorial Board recorded the statement of Susheel Kumar and collected other evidences and the final report was submitted on 31st August, 2015.

The decisions of the Proctorial Board were:

- (i) Complete suspension of Mr. Dontha Prashant, Mr. Rohith Vemula, Mr. P.

 Vijay and Mr. Seshu Chemudugunta from the classes or courses, hostels

 and other relevant/connected things a student gets from the university,

 with immediate effect for the ongoing/current semester on account of
 leading a group of 30 persons to Susheel Kumar's room, abusing and
 hitting him.
- (ii) Mr. Velpula Sunkanna who also took an active part in the incident which occurred in the night of 3/4 August, 2015 was found to be out of the

jurisdiction of the Proctorial Board. Hence an appropriate and strong action against him was recommended to the Vice-Chancellor.

(iii) The Proctorial Board suggested the Vice-Chancellor to issue strong warning to all students, political groups for not indulging in any sort of indiscipline.

The decisions of the Proctorial Board dated 31.08.2015 were approved by the Executive Council (EC) of the University of Hyderabad.

Being aggrieved by the decisions of the University, ASA students did not allow the university administration to function for two days forcing the then in charge Vice-Chancellor Prof. R.P. Sharma to withdraw the order with a condition that the matter will be looked into afresh by a Committee.

A Committee was constituted by Prof. Sharma but the Committee replied back, after Prof. Appa Rao took charge as Vice-Chancellor in the end of September, 2015, indicating that the recommendations of the statutory bodies like Proctorial Board and the Executive Council cannot be reviewed by such committee.

In the meantime, the mother of Mr. Susheel Kumar filed a case in the High Court at Hyderabad and the Court asked the University to inform as to what action was taken on the recommendations of the Proctorial Board. The university delayed the submission of report to the High Court. In the middle of November, 2015 the High Court strongly ordered the university to submit the action taken report within a deadline fixed by the court. Then the university authorities convened the meeting of Deans and administrative officers of the university in which Controller of Examination, Chief Warden and Dean of Student Welfare were also called. It was decided in the meeting that an Executive Council Sub Committee headed by a senior

most Professor as chairperson will examine the matter and submit the recommendations. As there was no member from the dalit community in the Executive Council it was requested that Dean of Students Welfare (Prof. P. Prakash Babu) be made part of the Committee to join the EC sub committee. He was also a statutory officer of the university

The EC sub committee after fairly long deliberations and after consulting the university security and local officers upheld the recommendations of the Proctorial Board and recommended to the Executive Council that the said five students be awarded punishment as recommended earlier. In the full Executive Council meeting that was held on one day before the deadline given by the court for the submission of action taken report, the Vice-Chancellor proposed to the Executive Council to be a bit lenient because the recommended punishment will deprive the students of the scholarships to continue their Ph.D. programmes after the semester expulsion recommended by the Proctorial Board. The full Executive Council agreed to the VC's proposal but it was indicated that the punished students will be permitted only in the respective departments, library, and academic meetings and not in the hostel, administration and other public places in the campus. The decision of the Executive Gouncil-was-communicated-to-the-students-by-the-Chief-Warden-around-20th December, 2015 and they were asked to vacate the hostels. The compliance was reported by the Chief Warden to the university. A group of students was not satisfied with the decision taken by the EC. The group met the Vice-Chancellor and demanded the revocation of hostel suspension as they were feeling that it was a "social boycott". They also linked the punishment imposed by the EC to the letter allegedly written by Shri Bandaru Dattatreya, Minister of State (Independent Charge), Labour & Employment, Government of India, New Delhi to HRD Minister,

Smt. Smiriti Zubin Irani which was forwarded by the MHRD to the University of Hyderabad. The university properly explained the students that the above letters had no connection whatsoever with the decision taken by the EC and the letters did not have any influence on it, i.e. Executive Council.

The five students who were expelled from the hostel moved the High Court of Hyderabad for staying the suspension from hostels. The High Court ordered that their petition shall be heard along with the petition already filed by the mother of Mr. Susheel Kumar and the matter was listed for hearing on 19th January, 2016.

On January 3, 2016 the students decided to protest as "sleep in open" at the shopping complex of the university. They erected a small tent and started sleeping there. The Dean of Students Welfare was regularly in touch with the students and counselling them to wait for the decision of the Court.

On 13th January, 2016 when the regular VC was away, the members of the Joint Action Committee (JAC) of the students closed down the administrative building and did not allow the employees to their work. They demanded that the regular VC should come, revoke suspension and only then they will allow the university to function. The VC came on 13th night and called the meeting of the local EC members, senior Deans and Dean of Students Welfare on 14th January in the morning regarding the course of action to be taken. It was decided in the meeting that an oral appeal be made to the students along with a written one to allow the administration to function and if the students do not listen the police help be taken to allow the university to function. On the morning of 14th January the students allowed the employees to enter into the university. The VC continued to interact with the students and asked them to wait till the decision of the court comes as the matter

was stated to be subjudice by the university but the appeal of the VC did not work and the students continued their strike.

All of a sudden at 7.00 p.m. on 17th January, 2016 the sad news of the suicide of Mr. Rohith Vemula broke out.

The whole matter was regularly reported by the electronic media on 18th and 19th January.

The HRD Ministry sent its two members committee to the university to interact with the stakeholders and report it back to the Ministry. The Committee submitted its report on 22.01.2016.

Later on Central Government appointed a Commission of Inquiry under Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60) of 1952 and I was appointed to conduct the inquiry vide Notification No. S.O. 325(E) dated 2nd February, 2016. The following were the terms of reference of the Commission:

- (i) To enquire into the facts and circumstances leading to the death of Shri Chakravorty R. Vemula, a research scholar of University of Hyderabad and fix responsibilities for lapses, if any
- (ii) To review the existing grievance mechanism for students at the University and suggest improvements.

Place and dates of inquiry

In connection with the inquiry, I visited Hyderabad from 23rd February to 25th February, 2016 and conducted the inquiry. The following stakeholders appeared before the Commission and made submission on 23.02.2016:



- Mr. Lakkakula Ayya S/o Jagadeshwar, State Secretary of Akila Bharatiya Vidyarthi Parishad, Telangna
- Mr. P. Thukaram, President, Mr. B. Srinivas, General Secretary and Mr. Ashish Jacob Thomas, Member, Officers' Association, University of Hyderabad
- Dr. Sudhakar Babu, , Dr. G. Sridevi and Dr. C.B. Ishwara Rao, conveners, SC/ST Faculty Forum, Hyderabad Central University
- Mr. M. Balakrishna, Advisor and Mr. D. Shivaiah, General Secretary, University of Hyderabad Staff Union
- Mr. R. Gangaraju, President and Mr. J. Niranjan Rddy, General Secretary,
 Non-teaching Employees Association, University of Hyderabad
- Mr. T. Narayana, President and Mr. M. Muniya Naik, General Secretary,
 SC/ST Employees Welfare Association, University of Hyderabad
- 7. Mr. P. Raghuram, President, Mr. D. Ashok Babu, Vice-President & Others, University of Hyderabad Scheduled Tribes Employees Welfare Association
- 1. In the affidavit given by Lokakula Ayappa s/o Jagadeshwar it was said that the death of Mr. Rohith Vemula has been used by multiple entities for their own agenda and ABVP has been blamed and dragged into this unfortunate issue.
 It was also mentioned in the affidavit that before the suicide of Rohith Vemula about 11 students had already committed suicides in the University of Hyderabad, the reference of which has been given in para 7 of the affidavit.
 In para 9 of the affidavit it has been submitted that the leaders of AIMIM (All India Majlis-e-Ithehadul-Muslimeen) are frequently visiting the university and conducting meetings with the students belonging to Ambedkar Students Association (ASA) instigating them into anti-nationalism/dubious activities

which challenge the sovereignty, unity and integrity of the nation. 30.07.2015, the students from Ambedkar Students Association staged a protest against the Government for hanging terrorist Yakub Memon and made pro-terrorist slogans. Against this, ABVP planned a peaceful protest meeting on 04.08.2015. In the evening of 03.08.2015, Shri Nandnam Susheel Kumar posted a cryptic comment on his facebook on this issue which was not liked by ASA. In the night of 03.08.2015, due to the comments he was mercilessly beaten by the ASA students and was forced to give an apology in writing. Later on, the Proctorial Board took a decision to take action against some students belonging to ASA. Rohith was also amongst them. Rohith later on committed suicide. In his letter written before suicide he did not name anybody but even then the friends of Rohith and Joint Action Committee were eager to link his death with the disciplinary action taken by the University. It has also been said by Lakakula Ayappa that Rohith was disillusioned with ASA and SFI which is clear from his suicide note. Mr. Ayappa also stated that Rohith was opposing the ASA agitation against the university authorities on caste basis and, therefore, his fellow students who were suspended blackmailed him that his fake caste certificate will be exposed and, therefore, it is possible that Rohith might have committed suicide due to this fact.

2. In the memorandum given by the Officers' Association of University of Hyderabad strongly said that nobody including the Vice-Chancellor is responsible for the suicide of Rohith Vemula. From his suicide note it appears that he had intention of stating something about some organisations who might have actually bothered him and brought him to the state of mind of

committing suicide. Some ways have also been suggested for improving the atmosphere of the university.

The memorandum submitted by Scheduled Castes and Scheduled Tribes
Faculty Forum, University of Hyderabad did not support the action of the
university regarding the punishment awarded to five students in connection
with the incident of 3/4 August, 2015. It was said in the memorandum that
high ranked BJP leaders trespassed into the university and staged a dharna
demanding the university to take action on five SC students. It was said that
Mr. Ramachandra Rao, MLC from BJP forcibly entered into VC office
demanding the suspension of five SC students. The memorandum raised
fingers upon the validity of the punishment awarded by the Executive Council
of the University.

Some measures for improving the atmosphere of the university have also been suggested by the Forum.

- 4. The memorandum given by the Staff Union of University of Hyderabad state that neither the VC nor any official was responsible for this incident. They stated that the decision for suspension of five students was taken by the universities authorities after thorough deliberations in the EC of the university. They have also suggested certain ways for improvement in university atmosphere.
- Non-teaching Employees Association, University of Hyderabad also gave a memorandum in which they did not blame the university on any point. However, they suggested that Students' Grievance Committees and Counselling Centres be made more active in order to restrict any kind of frustration reaping up in some of the students.

- In the memorandum given by SC/ST Employees Welfare Association of University of Hyderabad it has been said that thorough inquiry should be made as to why the dalit students are committing suicide in the university. It was also said in the memorandum that the inquiry committees appointed earlier suicides gave recommendations but those were not acted upon and hence it requires probe. It was also suggested that the representatives of SC/ST communities must be in all committees including Executive Council of University of Hyderabad.
- The representation given by University of Hyderabad Scheduled Tribes Employees Welfare Association did not comment on the actual facts and circumstances which led to the death of Mr. Rohith Vemula. However, they emphasised that there should be no discrimination on caste basis and all students must be treated equally. It was also suggested that the university should keep continuous dialogue with the students irrespective of their caste and there should be counselling centres bringing he students at one platform that no untoward incident occurs in the university. They also suggested that there should be no political interference in day-to-day working of the university. It was also said that the students should be counselled and the employees of the university be allowed to work freely and should not be pressurised in any way. It was also their opinion that the prompt actions should be taken at all levels by the university authorities.

The following stakeholders appeared before the Commission and made submission on 24.02.2016:

1. Dr. Alok Pandey, Chief Proctor, University of Hyderabad

- Dr. Sripati Ramudu, Associate Professor & Head, Centre for Study of Social Exclusion & Inclusive Policy, Social of Social Sciences, University of Hyderabad
- 3. Dr. Debashis Acharya, Chief Warden, University of Hyderabad
- 4. Prof. P. Prakash Babu, Dean of the Students Welfare, University of Hyderabad
- Officers of the Students Grievance Cell and Anti Ragging Cell, University of Hyderabad
- 6. Shri P. Ajay Babu, Assistant Registrar (Reservation), University of Hyderabad
- Group of Empowered Committee for Differently Abled Persons, University of Hyderabad
- Prof. V. Krishna, Controller of Examination and Mr. Devesh Nigam, Joint Registrar, University of Hyderabad
- Prof. Vipin Srivastava, Professor of Physics and former Vice Chancellor (In charge)
- 10. Dr. C. Raghava Reddy, Head, Centre for Knowledge Culture and Innovation Studies (CKCIS), School of Social Sciences, University of Hyderabad
- 11.Mr. N. Susheel Kumar S/o Shri N. Karunakar, R/o HUDA Colony, Chanda Nagar, Hyderabad
- 1. Dr. Alok Pandey, Chief Proctor, University of Hyderabad appeared before the Commission and submitted three files regarding the whole incident along with audio-video clippings and photographs. In the first file given by Dr. Alok Pandy it was said that it is not true that Scheduled Caste candidates of faculty members are being victimised. According to him, on all the major posts, viz. Chief Warden, Dean, Students Welfare, Controller of Examination, IQAC, SC

candidates are appointed. It was also said by him that the Scheduled Caste candidates have a major stake in students associations and teachers associations since a long time.

- 2. Dr. Sreepati Ramudu, Associate Professor and Head, Centre for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy, University of Hyderabad appeared before the Commission and submitted a memorandum mentioning therein the circumstances which led to the suicide of Mr. Rohith Vemula. He said that the present Vice-Chancellor, Prof. Appa Rao was having a different attitude against the Scheduled Caste students. Prof. Rao amended the punishment given to the students by the Proctorial Board. The Proctorial Board recommended for suspension of one semester only while Prof. Appa Rao expelled the students from the hostel for all time to come.
- 3. Mr. Debashis Acharya, Chief Warden appeared in person before the Commission and orally said that he does not know the exact circumstances which led to the suicide by Mr. Rohith Vemula. He also said that his expulsion from the hostel may be one of the reasons for the suicide. He also suggested that there should be regular interaction between the research scholars, guide and faculty members and the regular counselling of the students is also needed.
- 4. Prof. P. Prakash Babu, Dean Students Welfare, University of Hyderabad appeared and submitted in writing about the incident which took place on 04.08.2015 and the subsequent thereto.
- Dean, Students Welfare of University of Hyderabad gave a written memorandum and said that in the current academic year there was no complaint with regard to ragging in university campus.

- 6. Shri P. Ajay Babu Assistant Registrar (Reservation), University of Hyderabad appeared on behalf of Equal Opportunity Cell and SC/ST Cell and submitted a memorandum. He said that the Equal Opportunity Cell and Advisory Committee have been set up in the university for the redressal of grievance of SC/ST students.
- 7. A group of Empowered Committee for Differently Abled Persons, University of Hyderabad appeared before the Commission and deposed in writing through a memorandum. It was said by this Group that Mr. Rohith Vemula was not a Scheduled Caste candidate and was an OBC which can be gathered from the interview given by his father on TV. It was also said that Mr. Rohith Vemula was a meritorious and cheerful person. The group praised the present Vice-Chancellor, Prof. Appa Rao and said that in order to dislodge him the whole episode was cooked up and the things did not happen in the manner as shown by media.
- Prof. V. Krishna, Controller of Examination and Mr. Devesh Nigam, Joint Registrar submitted a memorandum and said that Mr. Rohith Vemula and other four expelled students never approached the Grievance Redressal Cell of the University.
- Prof. Vipin Srivastava, former Vice-Chancellor (In charge) submitted a
 memorandum in writing and said that the University do not discriminate against
 students or colleagues on the basis of their caste, gender or religion while

before the Commission and gave a memorandum. He said that he was in touch with Mr. Rohith Vemula upto August 2015. According to him, he was a brilliant student. However, he could not say about the circumstances under which the death took place. He suggested that for the betterment of the students counselling should be done regularly.

11. Mr. N. Susheel Kumar gave an affidavit in which he narrated the whole episode which took place and also filed the copy of the affidavit given by him in Writ Petition No. 2816 of 2016 between N. Susheel Kumar Vs. State of Telangana and four others. In this affidavit he has blamed the Ambedkar Students Association.

On 25.02.2016, the following persons/groups appeared before the Commission and made submissions:

- 1. Prof. Appa Rao Podile, Vice Chancellor, University of Hyderabad
- 2. Mr. M. Sudhakar Rao, Registrar (I/c), University of Hyderabad
- 3. Mr. B. Pandu Reddy, Finance Officer, University of Hyderabad
- 4. Dr. Suresh Yenugu, University of Hyderabad
- 5. Mr. Sanjay Subodh and others
- 6. Prof. Kollu V.A., Department of Bio-chemistry, University of Hyderabad
- Dr. Y.A. Sudharkar Reddy, Centre for Folk Culture Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabad
- 8. Dr. J.S.S. Prakash and others - -
- Dr. A.C. Narayana, Centre for Earth Science and Space Sciences, University of Hyderabad
- 10. Prof. P.B. Kirti and others
- 11. Dr. A. Bindu Madhava Reddy and others
- 12. Smt. N. Vinaya (mother of Mr. Susheel Kumar)
- 13. Prof. Panchanan Mohanty
- 14. Mr. B. Narasimulu, former internal audit officer
- Mr. K. Laxmi Narayanan and others ex office bearers of University of Hyderabad
- 16. Members of the Teachers Association, University of Hyderabad
- Prof. N. Durga Prasad, Dean, School of Chemistry, University of Hyderabad

- Prof. Tutun Mukherjee, Professor of Comparative Literature, University of Hyderabad
- 19. Dr. Saradadevi Tetali and others, Department of Applied Sciences, University of Hyderabad
- 20. Mr. Kothakapu Sridhar Reddy
- Concerned teachers, scientists and academicians, University of Hyderabad
- 22. Prof. D. Manohar Rao, Chairman, Martyrs' Memorial Research Institute (MMRI), Hyderabad
- 23. Ms. Arpita Sahu, a student, University of Hyderabad
- 24. Mr. Sivam Saluja, University of Hyderabad
- 1. Prof. Appa Rao Podile, Vice-Chancellor in his deposition before the Commission repeated the details of the events concerning the suicide of Mr. Rohith Vemula. He clearly stated that the efforts are being made to implicate only the Vice-Chancellor for the final decision of punishment awarded to the five students. He also submitted that the suicide note of Rohith Vemula did not blame anybody for his suicide.
- 2. Mr. M. Sudhakar, Registrar (I/c), University of Hyderabad also deposed about the events, as stated earlier, which ultimately ended into the suicide of Mr. Rohith Vemula. Registrar (in charge), University of Hyderabad gave the detailed action taken report in the matter of suicide by Mr. Rohith Vemula.
- 3. Mr. B. Pandu Reddy in his deposition submitted the detailed status report on the payment of fellowships made to the Ph.D. scholar, Late Mr. Chakravarti R. Vemula along with the supporting documents. According to him, Rohith was not paid Rs.1,77,403/ for a period of 6 months 16 days till his death and now this amount has been paid.
- 4. Dr. Suresh Yenugu and others in their representation neither supported nor accused any individual or a group of people or an organisation that was involved in the whole episode. Their main focus was on the discipline among

- the students. They emphasised that university authorities were not at all responsible for the suicide of Rohith Vemula.
- Mr. Sanjay Subodh and others gave the whole narration of the events upto the death of Mr. Rohith Vemula.
- 6. Prof. Koluru V.A. Ramaiah, Department of Biochemistry, School of Life Sciences, University of Hyderabad submitted information related to the general governance of the university.
- Dr. Y.A. Sudhakar Reddy, Centre for Folk Culture Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabad in his deposition repeated the events which took place till the death of Mr. Rohith Vemula.
- 8. Dr. J.S.S. Prakash and others supported the action of Vice-Chancellor, Prof. Appa Rao Podile in the matter and said that such a Vice-Chancellor is required by the university and the action taken by the university authorities was correct.
- Prof. A.C. Narayana, Centre for Earth & Space Sciences, University of Hyderabad also supported the action taken by the Vice-Chancellor in the present matter.
- 10. The faculty of School of Life Sciences consisting of Prof. P.B. Kirti and others also supported the action of the Vice-Chancellor. They also suggested the ways for improvement of atmosphere in the university.
- 11. In the memorandum submitted by Dr. A. Bindu Madhava Reddy and others said that Mr. Rohith Vemula contested the study body elections as a councillor under banner of SFI. However, he lost. Since then he completely changed his behaviour not only in academic activities but also his overall interest. He came to them and informed that he was quitting Ph.D program as he was interested in pursuing civil services. However, he continued his Ph.D in Social Sciences

and expressed that he will not participate in political activities but he did not keep his promise. He actively participated in Ambedkar Students Association rather than in SFI. His activities disturbed the academic and administrative atmosphere in the university. From this memorandum it appears that Mr. Rohith Vemula and a group of students never bothered about academics and always misbehaved and action taken against him was necessary.

- 12. Smt. N. Vinaya, the mother of Mr. Susheel Kumar submitted the affidavit and condemned the action of the ASA against his son. She also filed a copy of the affidavit in Writ Petition no. 28073 of 2015 between her and the State of Telangana and others pending before the High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad.
- 13. Mr. Panchanan Mohanty stated in his letter that the University of Hyderabad has always made sincere efforts to fulfil the reserved quota in admitting students. He also stated that there were complaints of discrimination against some SC/ST students but these were not many.
- Mr. Budhi Narsimloo, former Internal Audit Officer said that Mr. Rohith Vemula was a brilliant student but indulged in uncalled activities. His activities were not tolerable by the university administration. His death was mainly due to compelling circumstances thrusted upon him by surroundings in which he was encircled. It is incorrect to say that the university administration killed Mr. Rohith Vemula. It was just to malign the university and nothing else.
- 15. The submissions made by ex-office bearers of University of Hyderabad Teachers Association did not throw any light as to what were the circumstances leading to the death of Mr. Rohith Vemula.

16. The submissions made by the concerned teachers, University of Hyderabad stated that the punishment awarded to Mr. Rohith Vemula and others suffers from procedural lapses and was excessive, disproportionate and against the principles of natural justice. They also suggested the ways for the improvement of the environment of the university.

The faculty members in their submissions said that in the Executive Council which suspended five students consisted only one dalit member who could not do much. It was said that the HRD Minister's statement was not befitting and devalued the grief.

- 17. Prof. M. Durga Prasad, Dean, School of Chemistry, University of Hyderabad narrated the events up to the death of Mr. Rohith Vemula.
- 18. Mr. Tutun Mukherjee said in the representation that Joint Action Committee (JAC) does not want to resolve this issue as some of the teachers are manipulating the students and poisoning their minds.
- Dr. Saradadevi Tetali and others supported the Vice-Chancellor, Prof. Appa Rao Podile.
- 20. Mr. Kothakapu Sridhar Reddy gave an affidavit in which he stated that members of the Ambedkar Students Association are threatening the students of the university.
- Concerned teachers, scientists and academicians, University of Hyderabad suggested the measures for improvement of the atmosphere of the university.
- 22. Prof. D. Manohar Rao, Chairman, Martyrs' Memorial Research Institute (MMRI) in his memorandum stated that the death of Mr. Rohith Vemula should be viewed with the angle of cold blooded murder by certain dark

- elements with the intention of exploiting his death later for reaping political gains.
- 23. Ms. Arpita Sahu in his memorandum repeated the facts of the incident and raised questions about the action taken by the university authorities and the police.
- 24. Mr. Sivam Saluja in his letter said that ASA students who found Rohith dead in the room neither called the police nor the doctor nor they allowed the police to take the body which is suspicious.

I again visited Hyderabad on 21st March, 2016 and met the following stakeholders

- 1. Mr. V. Prasanna Kumar, Ex Joint Registrar, University of Hyderabad
- 2. The Faculty members of the University of Hyderabad
- 3. Mr. Sannaki Munna, Student, University of Hyderabad
- 4. Mrs. V. Radhika, (mother of Rohith Vemula)
- 5. Mr. Vedapudi Vijay Kumar, student, University of Hyderabad
- 6. Mr. Sheshaiah Chemudugunta, student, University of Hyderabad
- 7. Members of Joint Action Committee (JAC)
- 8. Mr. Dontha Prasanth, Student, University of Hyderabad
- 1. Mr. V. Prasanna Kumar orally said that the suicide of Mr. Rohith Vemula was his own personal decision and not by any of the circumstances of the university, i.e. his suspension or expulsion from the hostel. He also said that Mr. Vemula was having family problems which could have triggered his suicide. Regarding improvement in the atmosphere of university he suggested that the integrated course should be removed and the powers of the Vice-Chancellor should be made firm.

- The faculty members of the University of Hyderabad submitted in writing about the incident and preventive measures which could help the university to improve the atmosphere in the university.
- 3. Mr. Sannaki Munna briefly stated the facts under which he was targeted with other four suspended students. He said that the only reason of Rohith's death is VC Appa Rao who had misused all the powers.
- Mrs. V. Radhika, mother of Mr. Rohith Vemula stated that she is a Scheduled 4 Caste lady and married to Vemula Mani Kumar who belongs to a backward community. She was divorced in 2006. After her divorce she continued her living with one Anjani Devi who also did not treat her well. She also stated that officers/officials of the University of Hyderabad did not meet her. On the contrary, Mr. Susheel Kumar, his mother and brother were decently welcomed by the university authorities. On 18.12.2015, her son Rohith Vemula wrote a letter to the Vice-Chancellor Prof. Appa Rao complaining about the severe caste discrimination in the University and when he came to her on 29.12.2015 he not only complained about the caste discrimination against him but also said that due to political pressure exhorted by Shri Ramchandra Rao, BJP MLC from Hyderabad and BJP Government at the Centre is taking too much interest in Susheel Kumar and he is being victimised. Dattatreya, Minister of State, Labour and Employment and Mrs. Smriti Irani, HRD Minister are also taking too much interest in the case. She further stated that Rohith was socially boycotted by the university and he felt too much depresed and committed suicide.

- 5. Mr. Vedapudi Vijay Kumar, student, University of Hyderabad orally stated before the Commission that Mr. Rohith Vemula committed suicide because he was wrongly suspended and was discriminated on caste basis.
- 6. Mr. Sheshaiah Chemdugunta orally stated that after Mr. Rohith Vemula was expelled from the hostel he met him. He was perturbed and worried about his livelihood. He was also worried about his financial condition and was scared of politicians. He was worried that under these circumstances he would not be able to complete his Ph.D.
- 7. The members of the Joint Action Committee did not give their submissions in writing on 21.03.2016. They requested for time and they were granted time upto 31.03.2016. They again took time for 15 days. Ultimately their submissions were received in the office of the Commission through email on 15.04.2016.

It was said by the JAC in its deposition that the Proctorial Board enquired all students involved in the incident excluding Mr. Susheel Kumar. It was also said that the Vice-Chancellor Prof. Appa Rao Podile conspired against the five dalit research scholars and took the decision of social boycott without conducting a fresh enquiry and his atrocious decision took the life of Mr. Rohith Vemula. The Committee also said that that injuries sustained by Susheel Kumar during the incident were simple in nature. The Committee also refuted the allegations made by the petitioner in Writ Petition No. 28073 of 2015.

8. Dontha Prashanth sent his deposition through email in which he blamed the Vice-Chancellor, Nandanam Susheel Kumar, Nandanam Diwakar, Krishna

Chaitanya, MLC Ramachandra Rao and HRD Minister Smriti Irani responsible for the death of Rohith Vemula.

As the inquiry was not possible to be completed within three months as originally fixed by the MHRD, hence a request letter was sent by me on 21st April, 2016 for the extension of three months period for submitting the inquiry report. The MHRD vide Gazette Notification dated 13.05.2016 extended the time for a further period of three months w.e.f. 2nd May, 2016 to 1st August, 2016.

On 27th April, 2016, the Commission received the following three affidavits:

- (i) Shri KarneSrisailam, S/o Shri Balaiah, National President, National reservation Pariakshana Samithi, Regn. No. 1181/2010, office at H.No. 5-69-199, Rajeev Gandhi Nagar, Near Prashanth Nagar, Kukatpally, Hyderabad
- (ii) Shri Thurka Narasimha S/o Shri T. Ramulyu, President, Andhra Pradesh Vaddera Hakkula Porata Samithi, REgn. No. 970) Andhra Pradesh and Telangana, R/o 3-3-36/2, Shaj Conder, L.B. Nagar Ring Road, L.B. Nagar, Hyderabad; and
- (iii) Dr. T.N. Vamsha Tilak S/o Dr. T.V. Narayana, Secretary of the Samajika Samarasata Vedika (SSV), Telangana, R/o 58/3RT, PS Nagar Colony, Masab Tank, Hyderabad-57

From the perusal of the above affidavits it appears that Smt. V. Radhika (mother of Mr. Rohith Vemula) had given an affidavit stated therein that she belonged to Vaddera Community which is not a Scheduled Caste community and comes under the OBC category. In the light of the affidavit of Mrs. V. Radhika it was deemed fit by the Commission to enquire into the caste of Mr. Rohith Vemula as it could help in

deciding the questions referred to the Commission for Inquiry. Therefore, the Commission fixed 3rd June, 2016 for further inquiry and summoned the following persons.:

- 1. Shri KarneSrisailam, S/o Shri Balaiah,H. No. 5-69-199, Rajiv Gandhi Nagar, Near Prashanth Nagar, Kukatpally, Hyderabad
- 2. Shri T. Raja Sekhar, High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad
- 3. Shri Maduri Kullayappa, Advocate & Notary, H.No. 23-5-861/10, Rajpal Nagar, Near Sudha Talkies, Shalibanda, Hyderabad-265, (Telangana)
- 4. Shri Thurka Narasimha, S/o Shri T. Tamulu, 3-3/36/2, Shaj Corner, L.B. Nagar Ring Road, L.B. Nagar, Hyderabad
- 5. Shri C.V.R. Rudra Prasad,103, Sai Rashmita Residency,Road # 9, New Bakaram, Hyderabad 500 080
- 6. Shri Challari Nagaswara Rao, Advocate & Notary, HIG-I B-4, F-12, Baginlingampally, Hyderabad-44
- 7. Shri M. Ramana Kumar, Assistant Commissioner of Police, Madhapur Hyderabad-500081, (Andhra Pradesh)
- 8. Mrs. Mahankali Seethamma, Sarpanch, Gurazala Village & Mandal Distt. Guntur, Andhra Pradesh
- Shri G.V.S. Phaneendra Babu, Tahsildar, Gurazala Village & Mandal, Distt. Guntur, Andhra Pradesh

On 03.06.2016, the Commission of Inquiry went to Hyderabad and recorded the statement of

- 1. Shri Challari Nagaswara Rao, Advocate & Notary, Hyderabad
- 2. Mr. Maduri Kullayappa, Advocate & Notary, Hyderabad
- 3. Shri M. Ramana Kumar, Assistant Commissioner of Police, Madhapur, Hyderabad
- 4. Shri KarneSrisailam S/o Shri Balaiah, resident of H. No. 5-69-199, Rajiv Gandhi Nagar, Near Prashanth Nagar, Kukatpally, Hyderabad
- 5. Shri Thurka Narasimha S/o Shri T. Tamuly, resident of 3-3-36/2, Shaj Cornder, L.B. Nagar Ring Road, L.B. Nagar, Hyderabad

- Mr. Challari Nagaswara Rao, Advocate & Notary, Hyderabad testified the affidavit of Shri Thurka Narasimha S/o Shri T. Tamulu, aged about 46 years, resident of 3-3-36/2, Shaj Corner, L.B. Nagar Ring Road, L.B. Nagar, Hyderabad,
- Mr. Maduri Kullayappa, Advocate & Notary, Hyderabad testified the affidavit of Shri KarneSrisailam S/o Shri Balaiah, resident of H.No. 5-69-199, Rajiv Gandhi Nagar, Near Prasanth Nagar, Kukatpally, Hyderabad.
- 3. Mr. M. Ramana Kumar, Assistant Commissioner of Police, Madhapur, Hyderabad stated on oath that he is the Investigating Officer of case No. 20 of 2016 registered at P.S. Gachibowli, Cyberabad. This was the case filed by Shri D. Prasanth against N. Susheel Kumar & others under section 306 of the IPC and under the provisions of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act.

During the investigation, he recorded the statements of the father of the deceased, viz. Vemula Naga Mani Kumar, the grandparents of the deceased, viz. Vemula Venkateshavarlu and grandmother Vemula Naga Raghavamma. All the paternal family members denied that the deceased was a Scheduled Caste.

Sarpanch of the village of the deceased who also happened to be a distant relative of the deceased, Mahankali Seethamma, stated that the father and mother of the deceased belonged to Vaddera community, falling under backward class.

He also recorded the statements of Banala Dhanlaxmi (w/o maternal uncle of the deceased) and Challa Veeraraju (cousin of maternal grandmother of the deceased). Both stated that the father and mother of the deceased were Vaddera.

He also recorded the statement of two persons of the locality, viz. Mahakali Padmavati and Bathala Ramana. Both are distantly related to the family of Smt. V. Radhika, the mother of the deceased. They stated that Smt. V. Radhika, the mother of the deceased belongs to Vaddera community.

He also examined the school records of the mother of the deceased pertaining to the years 1981-85 where she studied from 6th to 10th class. In these records, she was recorded as Vaddera. The father of Radhika, Shri Banala Muslaiah who worked as an Assistant Engineer in Irrigation Department of Andhra Pradesh and had died a long back during the continuation of service. In his service records, he was neither recorded as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

During the investigation, he gave a requisition to Tahsildar Guntur Urban to know about the caste of the mother and her two brothers. The Tahsildar reported that all these persons belonged to Vaddera community.

He also gave a requisition to Tehsildar Gurzala to know about the caste of the deceased, Mr. Rohith Vemula and his father and also to inform as to whether the family members of the deceased had filed any declaration/application in his office records showing their caste. The Tahsildar reported that the deceased and his father were of Vaddera community.

He also gave a requisition to Tehsildar Guntur Urban asking for the complete records on the basis of which the caste certificate was issued to Mr. Rohith Vemula showing him as a Scheduled Caste. This requisition was given on 5th February, 2016 but till date no reply has been received from the Tehsildar.

There was a discrepancy in the college records and the reports issued by the Tehsildars Guntur Urban and Gurazala in respect of deceased, Mr. Rohith Vemula. In college records, the deceased is shown as a Scheduled Caste while Tehsildar reported that he belonged to Vaddera community. For this discrepancy a letter has been written to the District Collector, Guntur but no reply has yet been received.

He also investigated Mrs. V. Radhika, the mother of the deceased under Section 161 of Cr.PC. to know about her parents but she could not tell their names.

- 4. Shri KarneSrisailam S/o Shri Balaiah testified the contents of the affidavit dated 29.03.2016. He also stated that after the death of Mr. Rohith Vemula, he being the National President, SC Reservation Parirakshan Samiti made an enquiry from the father of Mr. Rohith Vemula and other persons and after enquiry he came to know that Mr. Rohith Vemula was not a Scheduled Caste person. He belonged to Vaddera Community which comes under OBC. In order to gain the benefits of Scheduled Caste reservation, he anyhow procured the SC certificate and was misusing the same for his benefit.
- 5. Mr. Thurka Narasimha S/o Shri T. Tamuly also testified his affidavit dated 29.03.2016 and stated that the father of Rohith Vemula came to him and insisted that he (deponent) being the leader and social worker in Vaddera

community should take up the matter and tell the people that they being of Vaddera Community are being harassed. He also insisted that Vaddera should not be sacrificed for the sake of Scheduled Caste.

6. During the inquiry Shri Nandnam Susheel Kumar along with his advocate appeared and submitted his affidavit along with the counter affidavit filed by Shri J. Ramesh Kumar, Inspector of Police Station, Gachibowli, Cyberabad as respondent No. 4 in Writ Petition No. 2816 of 2016 between N. Susheel Kumar Vs. State of Telangana and Ors. in the High Court of Hyderabad.

The statement of any revenue officer could not be recorded as none appeared before the Commission. Their statements were later on recorded at UGC office, New Delhi on 04.07.2016. On this date, the statements of Mrs. B. Rajini Kumari, Tahsildar, Guntur Mandal and Mr. G.V.S. Phaneendra Babu were recorded.

Mrs. B. Rajini Kumari stated that the first Scheduled Caste certificate was issued to Rohith Vemula S/o Shri V. Mani Kumar on 19.05.2004. It was a temporary certificate and was issued by Mr. P.A. Guptha, Mandal Revenue Officer, Guntur. There is no record available on the basis of which this certificate was issued. The next certificate in this regard was issued on 29.01.2005 and this was a permanent caste certificate. Regarding this certificate also there is no record available in the office of the concerned authority. After 2005, the caste certificate was issued on 29.06.2014 in favour of Mr. Rohith Vemula by Mr. T. Mohan Rao, Tahsildar, Guntur and the record on the basis of which this certificate was issued is also not available in the office of the Tahsildar. After 2014, the next certificate was issued on 16.06.2015 by Mr. K. Sivanarayana Murti, Tahsildar, Guntur and the record on the basis of which this certificate was issued is also not available, Guntur. She

admitted that these certificates were issued on enquiry but there could be a mistake in enquiry. She further stated that the name of Rohith Vemula's mother is Mrs. V. Radhika and she had an occasion to see her educational records. These records belong to Sri Jalagav Ramarao Memorial Municipal Corporation High School, Kothapet, Guntur and pertains to class VI to X. In this register, V. Radhika is recorded as 'Vaddera'. She has not been shown as 'Mala'.

Mr. G.V.S. Phaneendra Babu , the then Tahsildar, Gurazala stated that Mr.Vemula Venkateswarlu S/o Mallaiah, resident of Gurazala, the grandfather of Mr. Vemula Rajachaitanya Kumar (brother of the deceased) gave an application for the issuance of birth certificate of Vemula Rajachaitanya Kumar S/o Shri Vemula Mani Kumar. No date was given in this application. An affidavit was given in support of this application. Enquiry was conducted by Mandal Revenue Inspector and he recorded the statements of Vemula Mani Kumar, Mrs. V. Radhika, Shaik Kesha Bali and Ch. Srinivas Rao. Both V. Mani Kumar and Mrs. V. Radhika disclosed their caste as 'Vaddera'. Mrs. Vemula Mani Kumar, i.e. V. Radhika's school record shows that she is recorded as 'Vaddera'.

I have gone through the whole material available before me and also had an occasion to hear the stakeholders in person. Now I will deal with each term of reference referred to me.

Reference No.1: "to enquire into the facts and circumstances leading to the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar of University of Hyderabad and fix responsibility for lapses, if any."

It has vehemently been pressed by the Joint Action Committee (JAC) and some others that Rohith Vemula was punished just because he was a Scheduled Caste

candidate. It was also said that he was punished under the pressure exerted by the political leaders, viz. Shri Ramachandra Rao (Local BJP Leader), Shri Bandaru Dattatreya (Minister for Labour & Employment) and Smt. Smriti Irani (Minister for Human Resource Development). Against the above stand of the JAC and others, it has been said that Mr. Rohith Vemula was not a Scheduled Caste person and there was no pressure from any person, political or non-political in awarding the punishment to him.

In view of the above rival arguments, I deem it fit to look into the question as to whether Rohith Vemula belonged to the Scheduled Caste or not?

A look at the whole record would reveal that the name of the father of Rohith Vemula is V. Mani Kumar and the name of the mother is V. Radhika. The record also shows that there is no controversy at all regarding the caste of V. Mani Kumar. He is 'Vaddera' (OBC) by caste and there is nothing on record to disprove this fact.

Seeing that normally a child inherits the caste of his/her father and in view of this matter Rohith would be treated an OBC person.

However, it has been said that as his mother V. Radhika belongs to "Mala Community" which comes under SC category and because Rohith grew up in the company of his mother after divorce from her husband hence for all purposes he shall be treated as Scheduled Caste person.

Therefore, the question arises as to whether V. Radhika belongs to "Mala Community"? In this regard, the statement of V. Radhika recorded by Shri M. Ramana Kumar, Assistant Commissioner of Police, Madhapur, Hyderabad in connection with FIR No. 20 of 2016, PS Gachibowli, Cyberabad would be a relevant

material. In her statement Mrs. V. Radhika has stated that she is resident of Prakashnagar locality of Guntur town. She has three children, Neelima, age 29 years, Rohith Chakravarhi, age 27 years and Raja Chaitanya Kumar, age 25 years. She was married to V. Mani Kumar, resident of Gurazala. When she could not bear the harassment of her husband, she got herself separated in the year 1990 and obtained a decree of divorce from the Guntur Court in 2006. Since the time of her separation she is living on her own and bringing up her children by doing tailoring work. From 1990, she was living in the house of Aluru John at Malapalli of Prakashnagar. She stayed here from 1990 to 1993. After this, she shifted to another house in the neighbourhood and she stayed there for about four years. From there, she stayed in the house of Uppalapati Danamma for about one and half years and then stayed in the house of Vemula Venkateshwarlu at Prakashnagar for about 7 years. In October, 2015 she became ill and shifted to the house of her younger son at Uppal, SBH Colony on 27th December, 2015 and since then she is living there. She has further stated that she does not know to whom she was born. She was grown and brought up in the house of Banala Anjani Devi and Musalaiah. They have four children. She was brought up along with their children. She grew up working in their house. In that house, apart from Anjani Devi, her mother and maternal grandmother used to live. Through them, she came to know that her birth was Mala. She was told that her parents who came to work could not bring her up and gave her to Anjani Devi and left. Till the date of the deposition which took place on 03.06.2016, her parents neither saw her nor met her. She further stated that she suffered similar discrimination in the house of Anjani Devi as she suffered in the house of her husband V. Mani Kumar. She obtained 'Mala' caste certificate through Uppalapati Danamma, the then corporator.

From the above, it appears that V. Radhika does not know the names of her biological parents. She was given to Anjani Devi by them who disclosed caste to her but it is surprising that she was not told the names of her biological parents. When Anjani Devi and others did not feel any need to disclose the names of her biological parents then what was the need for them to disclose her caste? Therefore, this statement of V. Radhika is highly improbable and unbelievable that Anjani Devi and others told her that she belongs to 'Mala Community'. It appears to me that the statement by V. Radhika regarding her caste as 'Mala" has been given just to support the caste certificate issued in favour of her son, Rohith Vemula. Here, it is very much important to mention that she branded herself as 'Mala' as she managed to obtain Mala caste certificate from a person, viz. Uppalapati Danamma in whose house she stayed for one and half years. There is nothing on the record to show as to how Uppalapati Danamma came to know that she was Mala when he had no occasion to know her antecedents. He did not have the occasion to know the names of her parents nor he had the occasion to know her place of birth. Therefore, what could be the evidence with him to issue Mala caste certificate to V. Radhika, being a corporator. To me, it appears that this caste certificate has no value and that in order to take the benefit of Scheduled Caste she anyhow obtained the Mala caste certificate from the corporator, Uppalapati Danamma in whose house she remained for one and half years.

Not only this, that she claimed to belong to Mala community but she was not shown as such in her school records where she studied from class VI to X. In this record her parent/guardian name has been written as Musslaiah and her caste has been shown as 'Vaddera'. In this situation this proposition cannot be ruled out that Musslaiah had adopted V. Radhika and gave his name as her parent. Therefore, for

REPORT OF THE COMMISSION OF INQUIRY

all purposes she would inherit the caste of Musslaiah and from this angle also she cannot be said to be 'Mala'.

One more important evidence against her Scheduled Caste status is the statement given by her when she became a witness in connection with the issuance of birth certificate of her younger son, Raja Chaitnaya Kumar. This statement was recorded by Mandal Revenue Inspector, Gurzala on 02.07.2014 in which she stated her caste as 'Vaddera'. She showed herself to be of 44 years of age on this date, meaning thereby that she was competent enough to understand the things. If she would have been of Mala Caste then definitely she would have mentioned in her statement that she belongs to Mala community but she showed herself as 'Vaddera'.

The statement of Mrs. B. Rajini Devi, Tahsildar, Guntur shows that there is no record available in the office of Tahsildar regarding the basis for issuance of caste certificate to Rohith Vemula. It shows that this possibility cannot be ruled out that the caste certificate has been issued without any proper enquiry.

Thus, from the whole material available on the record it appears that there is no proof at all that she belongs to "Mala Community" on the basis of which later on she obtained Mala caste certificate for the first time from the corporator Uppalapati Danamma. As she is not proved to belong to "Mala Community" hence she cannot be included in Scheduled Caste community. The evidence on record shows that she belongs to Vaddera Community and, therefore, the Scheduled Caste certificate issued to Rohith Vemula cannot be said to be a genuine one and he was not a Scheduled Caste person.

Though Rohith Vemula is not proved to be a Scheduled Caste person but he always claimed as such on the basis of the certificate anyhow obtained by him/ his mother.

Now the next question arises as to whether on his claim to be of Scheduled Caste category he was ever harassed or ill treated by the university authorities?

Nothing has been brought before me by which it could be shown that he was ever given a different treatment from that of the general category students by the university authorities during his stay in the university.

A look at the record would show that regarding the incident of 3/4 August, 2015, a complaint was given by Shri Krishna Chaitnya, General Secretary, ABVP, University of Hyderabad to the Vice-Chancellor of University of Hyderabad on 4th August, 2015. On the same day the students belonging to Ambedkar Students Association (ASA) also gave a letter to the Vice-Chancellor, University of Hyderabad for the immediate release of Vincent, Prasanth and Ashok who were arrested by the police. On this issue the Proctorial Board conducted an enquiry and held its meeting on 10.08.2015 in which Prof. Alok Pandey, Chief Proctor, Prof. G. Lalitha Guruprasad, Proctor, Prof. P.K. Suresh, Proctor, Dr. Athar Habib Siddiqui, Proctor and Dr. Chetan Srivastava, Proctor also participated. After taking deposition of several persons and also taking into account the letter of the Ambedkar Students Association the Proctorial Board submitted its interim report on 12th August, 2015 and proposed the following punishment:

- A strong warning to be issued to Mr. Susheel Kumar for posting of such comments on Face Book.
- Strong warnings to be issued to Mr. D. Prasanth, Mr. Vincent, Mr. Rohith Vemula, Mr. P. Vijay, Mr. Sunkanna, Mr. Seshu Chemudugunta for going to Susheel Kumar's room and hostel and asking for apology and deleting his

comments from face book, in the midnight, instead of complaining to appropriate authorities.

By this time the letter dated 17th August, 2015 written by Shri Bandaru Dattatreya, Minister of State (Independent Charge), Labour & Employment, Government of India to Smt. Smriti Irani, Minister of Human Resource Development was not in existence. Therefore, this can safely be said that by the time the interim report was submitted, no pressure could be exerted upon the Proctorial Board. Moreover, this cannot be believed that the report which was prepared by nine persons could be obtained by pressure. How nine persons could be influenced by anybody, political or non-political when none of them was directly under the control of anybody. After this interim report the matter was further enquired into by the Proctorial Board on 26th August, 2015 in which the following persons were present:

- 1. Prof. Alok Pandey, Chief Proctor
- 2. Prof. G. Lalitha Guruprasad, Proctor
- 3. Dr. Athar Habib Siddiqui, Proctor
- 4. Dr. Chetan Srivastava, Proctor
- 5. Mr. G.R. Anil, Vice-President, Students' Union, University of Hyderabad

The presence of Mr. G.R. Anil, Vice-President, Students' Union, University of Hyderabad shows that there could be no bias against the students when the Vice President of Students' Union himself was taking part in the enquiry. On 31st August, 2015 this report was presented after taking deposition of several persons and the following decisions were taken by the Proctorial Board:

 Complete suspension from University –from classes or courses, hostels and other relevant/concerned things a student gets from University, with immediate effect, for on-going/current semester for Mr. Dontha Prahant, Mr. Rohith Vemula, Mr. P. Vijay and Mr. Sheshu Chemudugunta on account of leading a group of 30 persons to Susheel's room, abusing and hitting to Mr. Susheel Kumar.

- 2. About Mr. Velpula Sunkanna, who had a very active part in this incident, not only in the helping in hitting but dictating the apology letter, is not a bonafide student of University, so he is out of Board jurisdiction. Henceforth the board suggests to the Vice-Chancellor to take appropriate and strict action against him. Since its the matter of security. He must be treated like an intruder since his presence in campus is dangerous.
- The board also suggests to the Vice-Chancellor to issue strong warning to all students, political groups to not to get indulge in any sort of indiscipline.

It does not appear probable that five persons who participated in the meeting of the Proctorial Board could be influenced by any political or non-political persons more particularly, when students' representative was also there.

The students were not satisfied with the punishment awarded by the Proctorial Board vide its decision dated 31.08.2015 and, therefore, the university administration considered it fit to hold discussion with the various groups of students. After discussions with the students, the Executive Council held its meeting on 10.09.2015 under the chairmanship of Prof. R.P. Sharma, the then Vice-Chancellor and the decision was taken to revoke the suspension of the students with immediate effect, i.e. from 10.09.2015 and a Committee was constituted to look into the matter afresh. The students were informed that the final decision taken by the university based on the recommendations of the committee constituted afresh should be complied with by them. The Committee refused to act on the ground that the Proctorial Board

REPORT OF THE COMMISSION OF INQUIRY

being a statutory body its report and recommendations cannot be questioned by the above Committee. Thereafter, a Sub Committee of the Executive Council was constituted to look into the matter. The Sub Committee considered the matter in wide perspective and concurred with the findings and recommendations of the Proctorial Board dated 31.08.2015. This Sub Committee was headed by Dr. Vipin Srivastava, Professor of Physics, three other Professors, one Associate Professor and the Assistant Registrar. There is nothing on the record to show that this Sub Committee was anyway influenced by any political or non-political persons or by the Vice-Chancellor. In my opinion, the members who concured with the findings of the Proctorial Board could not be won over collectively and, therefore, this cannot be said that the decision of the Sub Committee was influenced by anybody. The recommendations of the Sub Committee were accepted by the Executive Council in its meeting dated 27.11.2015 with certain modifications. The modifications were that the students were not allowed to stay in the hostels till they complete their respective courses/programs at the university and they were permitted to be seen only in the schools / departments / centres / library and academic seminars/conferences/workshops of their subject. They were debarred to participate in the students' union elections, to enter the hostel, administration building and other common places in groups.

In my opinion, the view taken by the Executive Council was the most reasonable one in the circumstances prevailing at that time. The Executive Council mainly focussed that the students should keep concentration on their academic career and not to the other things. The leniency shown by the Executive Council itself shows that the university administration was not functioning under any influence or pressure

otherwise there could be no occasion to be lenient or to reduce the punishment recommended by the Proctorial Board.

Thus my view is that it is unacceptable argument of the Joint Action Committee (JAC) or anybody stating in the terms of Joint Action Committee that the university administration took the decision on different dates under the influence of political leaders, i.e. Shri Ramachandra Rao, local MLC, Shri Bandaru Dattatreya, Minister for Labour & Employment and Smt. Smiti Irani, Minister for Human Resource Development.

So far as this argument is concerned that Mr. Ramachandra Rao met the Vice-Chancellor in connection with the incident of 3/4 August, 2015 or that Shri Bandaru Dattatrya, Minister for Labour & Employment wrote a letter dated 17.08.2015 to Smriti Irani, HRD Minister and in turn the HRD Ministry called for the reports from the university, in that regard it is pertinent to mention that all were discharging their duties as public servants. Being the public representative, Shri Ramachandra Rao, MLC took the issue with the University authorities, Shri Bandaru Dattatreya, Minister for Labour & Employment wrote the letter to Smt. Smriti Irani, HRD Minister as the MP of the Secunderabad Constituency and the letter written by HRD Minister were just to pursue the matter with the university authorities on the letter of Shri Bandaru Dattatreya. I feel that none of the above in any way influenced the university authorities and they were just discharging their functions as the representatives of the public.

On the basis of the above discussion, my view is that regarding the incident of 3/4 August, 2015, the university authorities enquired the matter independently without

any influence from any person, political or non-political and no discrimination was shown towards Rohith Vemula or any other student in conducting the enquiry.

Now the question arises as to whether the punishment awarded to Rohith Vemula was the circumstance to commit suicide?

It appears from the record that the punishment was challenged in the High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad and the matter was pending on the date when suicide was committed. Therefore, in my view the punishment could not be the reason for suicide. When the students had challenged the order of punishment then there could be no reason for committing the suicide on this account.

My view is also to this effect that the suicide did not relate to any activities of the university administration or the above political leaders including the Vice-Chancellor, Prof. Appa Rao Podile. It was wholly a decision of his own. His suicide note is on the record which shows that Rohith Vemula had his own problems and was not happy with the worldly affairs. He was feeling frustrated for the reasons best known to him. He wrote that there was no urgency for understanding love, pain, life and death but he was rushing after them. It indicates that he was not happy with the activities going around him. He also wrote that he was all alone from the childhood and was an unappreciated man. This also indicates his frustration. He did not blame anybody for his suicide. If he would have been angry with the decision of the university, certainly either he would have written in the specific words or would have But he did not do the same. It shows that the indicated in this regard. circumstances prevailing in the university at that time were not the reasons for committing the suicide. The whole reading of the letter written by him shows that he was not feeling well in this world and under frustration he ended his life.

Here I would like to refer the letter dated 18.12.2015 written by Rohith Vemula to the Vice-Chancellor, University of Hyderabad regarding the solution for dalit problems. In this letter he showed his anger regarding the expulsion from the hostels. But I feel that in view of the suicide note the anger shown in this letter cannot be the reason for suicide. It is because of the fact that the suicide was committed after about one month and by this time the expulsion from the hostel had been challenged in the High Court. He did not mention anything in his suicide note which were mentioned in the above mentioned letter. This shows that if there was any anger that did not continue by the date of suicide otherwise something regarding the anger shown in the letter would have been indicated in the suicide note.

In view of what I have said above, my view is that there is no evidence of any fact or circumstance available on the record which dragged him to commit suicide and no one is responsible for his death. The above term of reference is accordingly answered.

Reference No. 2: to review the existing grievance redressal mechanism for students at the university, and to suggest improvements.

It has been brought to my notice during enquiry that the university does not have a proper mechanism for the redressal of the grievances of the students, both general and reserved categories. It was also said that a proper appeal mechanism against the punishment awarded by the university authorities is not available. There is no counselling facility in the university and the students are left with no proper guidance. It has also been said that such incidents had also taken place in the past. To solve the above problems and to make the atmosphere of the university more congenial and beneficial to the students, so that such incidents are not repeated in future several suggestions were given by various groups. After studying the same I would

like to suggest the following measures for improving the atmosphere in the university:

- 1. The university should evolve a mechanism where the students can appeal in case there is any excess by the university.
- Counselling Centres consisting of professionally trained counsellors should be set up which shall provide services to students, research scholars and faculty including non-teaching staff.
- Monitoring Committees should be constituted which should be headed by the supervisors who would provide guidance on the matters related to the subjects studied by the students.
- Equal Opportunity Cell headed by the Anti-discrimination Officer as per the UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations
 2012 should be made functional.
- Grievance Redressal Committee headed by the Ombudsman as per UGC (Grievance Redressal) Regulations 2012 should be made effective.
- 6. All the directives in the orders passed by the High Court of Andhra Pradesh in PIL No. 106/2013 should be implemented.

JUSTICE ASHOK KUMAR ROOPANWAL (RETD.)

INQUIRY OFFICER

Memorandum of Action Taken

on the Report of the Commission of Inquiry

consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retired)

set up by the Government of India to inquire into

the events, culminating in the death of Shri Chakravarti R.

Vemula, a research scholar in the University of Hyderabad

Ministry of Human Resource Development

Memorandum of Action Taken on the Report of the Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retired) set up by the Government of India to inquire into the events, culminating in the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar in the University of Hyderabad

- 1. The Government of India had set up a Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retired) to inquire into the events, culminating in the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar in the University of Hyderabad vide Notification No. S.O. 325 (E) dated 2.2.2016. The Commission of Inquiry was setup with following terms of reference:
 - To enquire into the facts and circumstances, leading to the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar of University of Hyderabad, and fix responsibility for lapses, if any;
 - ii) To review the existing grievance redressal mechanism for students at the University, and to suggest improvements.

The Commission was requested to carry out its inquiry and submit its report and recommendations to the Government within 3 months from the date of its appointment i.e. by 1st May, 2016. However, Justice Roopanwal (Retired) vide his letter dated 21st April, 2016 informed the Government that in view of deposition by a large number of stakeholders and voluminous representations received, it may not be possible for the Commission to finalize its report by 1st May, 2016 and made a request for extending the term of the Commission by another three months, i.e., upto 1st August, 2016. This request was considered and acceded to by the Government and the term was extended for a further period of three months w.e.f. 2nd May, 2016 to 1st August, 2016. This extension in term was notified in the Gazette of India Extraordinary vide S.O. 1756 (E) dated 13th May, 2016.

- 2. In exercise of its powers, the Commission of Inquiry has submitted its findings/recommendations in respect of the two terms of reference to the Ministry vide letter dated 1st August, 2016.
- 3. Sub-section (4) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 provides as under:

"The appropriate Government shall cause to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, the Legislature of the State the report, if any, of the Commission on the Inquiry made by the Commission under sub-section (1) together with a Memorandum of the action taken thereon, within a period of six months of the submission of the report by the Commission to the appropriate Government."

4. Accordingly, the recommendations of the Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retired) Commission of Inquiry have been considered in the Ministry of Human Resource Development, Government of India and actions taken in respect of the recommendations of the Commission of Inquiry are given below:

Action Taken Report

S. No.	Recommendation of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retired) Commission of Inquiry	Action taken on the recommendation
1.	First term of reference: To enquire into the facts and circumstances, leading to the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar of University of Hyderabad, and fix responsibility for lapses, if any;	record which dragged Shri Vemula to
	Finding of the Commission: Commission has observed that the punishment could not be the reason for suicide of Shri Vemula when the same was challenged before the High Court of Andhra Pradesh and pending on the date of suicide. Further, the suicide did not relate to any activities of the University administration including the Vice-Chancellor, Prof. Appa Rao Podile or of the political leaders. It was wholly a decision of his own.	
	Recommendation of the Commission: Based on the above and other observations, the Commission is of the view that there is no evidence of any fact or circumstance available on the record which dragged Shri Vemula to commit suicide and no one is responsible for his death.	
2.	Second term of reference: To review the existing grievance	Agreed. The University Grants Commission (UGC) has been requested

the University, and to suggest improvements.

Recommendation of the Commission:

After considering various suggestions, the Commission has suggested the following measures to improve the atmosphere of the University:

- university should The (i) evolve a mechanism where the students can appeal in case there is any excess by the university.
- (ii) Counselling Centres consisting of professionally trained counsellors should be set up which shall provide services to students, research scholars and faculty including nonteaching staff.
- Monitoring Committees (iii) should be constituted which should be headed by the supervisors who would provide guidance on the matters related to the subjects studied by the students.
- (iv) Equal opportunity cell headed by the Antidiscrimination Officer as per the UGC (Promotion of in Equity Higher Educational Institutions) Regulations 2012 should be

redressal mechanism for students at to issue suitable instructions/ guidelines to all the Central Universities including the University of Hyderabad.

made functional.

- (v) Grievance Redressal
 Committee headed by the
 Ombudsman as per the
 UGC (Grievance Redressal)
 Regulations 2012 should be
 made effective.
- (vi) All the directives in the orders passed by the High Court of Andhra Pradesh in PIL No. 106/2013 should be implemented.

In order to further strengthen the recommendations of the Commission of Inquiry on the second term of reference, UGC has been requested to ensure the implementation of the following additional measures in all the Central Universities.

- (i) Strong induction programme for better acclimatisation.
- (ii) Establish (as far as possible) local guardian system for outstation students.
- (iii) Grievances to be discussed and dispensed with on weekly basis and Vice Chancellor to hold meetings on monthly basis.
- (iv) Remedial teaching for academically weak students.
- (v) Deans to closely monitor Department problems. Any serious issue to be brought to the notice of Vice Chancellor immediately.
- (vi) University to select suitable student volunteers to act as mentors and help freshers.
- (vii) Effective administration and supervision of Hostels and strict compliance of Hostel Admission Rules and Regulations so that only current students allotted hostel accommodation by the University stay in the hostels.

URGENT

F. No. 7-5/2016 Desk U
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(Central Universities Bureau)

Dated, the 8th December, 2016.

To,

The Chairman, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002.

Sub: Recommendations of the Commission of Inquiry constituted to inquire into the events at University of Hyderabad – implementation thereof – regarding.

Sir,

As you are aware, the Government of India had set up a Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retd.) to inquire into the events at the University of Hyderabad, culminating in the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar in the University of Hyderabad vide Notification No. S.O. 325 (E) dated 2.2.2016. One of the terms of reference of the Commission was to review the existing grievance redressal mechanism for students at the University, and to suggest improvements.

- 2. The Commission has submitted its report and the following recommendations made by it have been accepted by the Government for implementation in all the Central Universities, including the University of Hyderabad:
 - (i) The university should evolve a mechanism where the students can appeal in case there is any excess by the university.
 - (ii) Counselling Centres consisting of professionally trained counsellors should be set up which shall provide services to students, research scholars and faculty including non-teaching staff.
 - (iii) Monitoring Committees should be constituted which should be headed by the supervisors who would provide guidance on the matters related to the subjects studied by the students.
 - (iv) Equal opportunity cell headed by the Anti-discrimination Officer as per the UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations 2012 should be made functional.

- (v) Grievance Redressal Committee headed by the Ombudsman as per the UGC (Grievance Redressal) Regulations 2012 should be made effective.
- (vi) All the directives in the orders passed by the High Court of Andhra Pradesh in PIL No. 106/2013 should be implemented.
- 3. In order to further strengthen the above recommendations of the Commission of Inquiry, the following additional recommendations/measures have been approved by the Government for implementation in all the Central Universities:
 - (i) Strong induction programme for better acclimatisation.
 - (ii) Establish (as far as possible) local guardian system for outstation students.
 - (iii) Grievances to be discussed and dispensed with on weekly basis and Vice Chancellor to hold meetings on monthly basis.
 - (iv) Remedial teaching for academically weak students.
 - (v) Deans to closely monitor Department problems. Any serious issue to be brought to the notice of Vice Chancellor immediately.
- (vi) University to select suitable student volunteers to act as mentors and help freshers.
- (vii) Effective administration and supervision of Hostels and strict compliance of Hostel Admission Rules and Regulations so that only current students allotted hostel accommodation by the University stay in the hostels.
- 4. It has further been decided by the Government to request the University Grants Commission (UGC) to circulate all the above recommendations amongst all the Central Universities for immediate implementation under intimation to the Ministry. UGC is further requested to monitor and ensure compliance in this regard.

Yours faithfully,

(Dr. Sukhbir Singh Sandhu) Joint Secretary to the Govt. of India

Tel: 23381097

न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) जांच आयोग की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का ज्ञापन संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) जांच आयोग की रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्रवाई ज्ञापन का पटल पर रखा जाना

सूचकांक

क्र.स.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
1	जांच आयोग के गठन की राजपत्र अधिसूचना	1
2	जांच आयोग के कार्यकाल विस्तार संबंधी राजपत्र अधिसूचना	2
3	जांच आयोग की रिपोर्ट	3-37
4	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ज्ञापन	38-42
5	सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सिफारिशों के परिचालन, तत्काल कार्यान्वयन और अनुपालन हेतु यूजीसी को भेजा गया पत्र	43-44



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 279] No. 279]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2016/माघ 13, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

का.आ.325(अ).—शी चक्रवर्ती आर. वेमुला, शोध विद्वान, हैंदराबाद विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) का तारीख 17 जनवरी, 2016 को निधन हो गया है;

और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भेजी गई तथ्यान्वेदी समिति ने शोध विद्वान दी मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों दी जांच दी और हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में हुए पश्चातवर्ती आन्दोलन के साथ-साथ अगस्त, 2015 से पहले प्रारंभ हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया है;

और तथ्यान्वेषी समिति द्वारा सामने लाए गए तथ्यों ी, विश्वविद्यालय में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यलोप और कृत्यों ी पहचान करने और भविष्य में इस प्रकार ी घटनाओं वो रोकने के लिए उपाय सुझाए जाने हेतु, एक विस्तृत जांच ी जानी अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) दी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हैदराबाद विश्वविद्यालय में घटनाओं, जो श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला दी मृत्यु का कारण बनी, दी जांच करने के लिए न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपानवाल (सेवानिवृत्त) दी अध्यक्षता में जांच आयोग दी नियुक्ति करती है।

- आयोग को सौंपे गए कृत्य निम्नानुसार होंगे:-
- (i) उन तथ्यों और परिस्थितियों ी जांच करना जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध विद्वान शी चक्रवर्ती आर. वेमुला ी मृत्यु का कारण बने और इस चूक, यदि बोई हो, के लिए उत्तरदायित्व नियत करना;
 - (ii) विश्वविद्यालय में छार्टों के लिए विद्यमान शिकायत निवारण व्यवस्था का पुनर्विलोकन करना और मुधार संबंधी सुझाव देना।
- 3. आयोग अपनी जांच करेगा और केन्द्रीय सरकार वो अपनी रिरोर्ट और सिफारिशें इसवी नियुक्ति के तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

[फा.सं. 7-5/2016-डेस्क (यू)]

सुखदीर सिंह संधु, संयुक्त मचिव



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2016/वैशाख 23, 1938

No. 1187]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2016/VAISAKHA 23, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

का.आ. 1756(अ).—केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में तारीख 2 फरवरी, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 325(अ) तारीख 02 फरवरी, 2016 के अधीन श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला, हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध विद्वान की मृत्यु का कारण बने तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने; चूक, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायित्व नियत करने; विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करने और सुधार संबंधी सुझाव देने हेतु नियुक्ति की तारीख से तीन मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपानवाल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया था।

और आयोग ने हैदराबाद में अपनी बैठकें कीं और वड़ी संख्या में हितधारकों से प्राप्त बहुत सारे अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के लिए सभी हितधारकों से मुलाकात की, आयोग को मामले का गहराई से परीक्षण करने और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तीन मास के और समय की आवश्यकता है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपानवाल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग के कार्यकाल को 02 मई, 2016 से 01 अगस्त, 2016 तक अर्थात् 03 मास की अविध के लिए और विस्तार करती है।

[फा. सं. 7-5/2016-डेस्क यू]

सुखबीर सिंह संधु, संयुक्त सचिव

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में एक शोध छात्र श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की मृत्यु के संबंध में जांच आयोग की रिपोर्ट

आयोग की जांच रिपोर्ट

घटना की पृष्ठभूमिः

हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में अम्बेडकर छात्र संघ (एएसए) द्वारा याकूब मेनन एक आतंकी, जो मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में लिप्त था, के लिए 30 जुलाई, 2015 को (नमाज-ए-जनाजा) आयोजित की गई थी। राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए और "तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा" के बैनर दिखाए गए।

एएसए की उपर्युक्त गतिविधियों के जवाब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कार्यकर्ता श्री नन्दनम सुशील कुमार ने 3 अगस्त, 2015 को फेसबुक पर पोस्ट किया कि "एएसए गून्स आर टाकिंग अबाउट हूलिगनिइज्म फीलिंग फन्नी"। एन. सुशील कुमार की फेसबुक पोस्टिंग अम्बेडकर छात्र संघ के सदस्यों को पसन्द नहीं आई। 3 और 4 अगस्त के बीच की रात एएसए के 30-40 छात्र सुशील कुमार के पास गए और उनसे उपर्युक्त पोस्ट के लिए माफी मांगने और फेसबुक से उसे हटाने के लिए कहा। श्री सुशील कुमार किसी तरह पुलिस को यह कॉल करने में सफल हो गया कि भीड़ से उसकी जान को खतरा है। यह सब रात 12.30 बजे के करीब हुआ।

04 अगस्त, 2015 को लगभग सुबह 1.00 बजे, हैदराबाद विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण को किसी अनजान व्यक्ति से फोन आया कि जहां सुशील कुमार रह रहा वहां छात्रावास परिसर में भारी संख्या में छात्रों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। डीन ने सुरक्षा स्टाफ को फोन किया और उनको वहां जाने और स्थित का जायजा लेने के लिए कहा। श्री दिलीप सिंह और श्री वेंकटेश्वरल् संबंधित स्थान पर गए और देखा कि श्री सुशील कुमार और 30-40 छात्रों की भीड़ छात्रावास के नजदीक साइकिल स्टैंड पर पहले ही जमा हो चुकी थी। उन्होंने यह भी देखा कि भीड़ सुशील कुमार से माफीनामा लिखने के लिए बार-बार कह रही है। सुरक्षा स्टाफ ने यह भी देखा कि भीड़ बहुत गुस्से में थी और सुशील कुमार को गालियां दे रही थी। सुरक्षा स्टाफ ने सुशील कुमार को सिक्योरिटी वैन में बैठाकर बचाने की कोशिश की परन्तु एएसए छात्रों ने उन्हें रोक दिया और सुनील कुमार को जबरदस्ती वैन से बाहर खींच लिया। इसके बाद भीड़ ने सुशील कुमार को गाली दी, उसके साथ हाथा-पाई की और जान से मारने की धमकी दी और उसे माफीनामा लिखने के लिए मजबूर किया। पत्र पढ़ने के बाद एएसए छात्रों को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने उसे फाड़ दिया। इसके बाद, भीड़ ने एक दूसरा माफीनाम लिखने पर दबाव डाला जिसे एएसए छात्रों द्वारा बोला गया और सुशील

कुमार दवारा लिखा गया था। एएसए छात्रों द्वारा सुरक्षा स्टाफ दिलीप सिंह को पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर (काउंटर साइन) करने के लिए मजबूर किया गया। सुरक्षा स्टाफ ने भीड़ को शांत करने का प्रयास किया परन्तु वे यह नहीं कर पाए। एसएसए छात्रों ने एसएस के दो छात्रों के साथ सुशील कुमार को जबरन वैन में बैठाया। अन्य एएसए छात्रों ने वैन का पीछा किया। एएसए के छात्र वैन को विश्वविद्यालय के मेनगेट पर स्थित सुरक्षा कार्यालय में ले गए जहां कुछ एएसए छात्र सुरक्षा कार्यालय में घुस गए और सुरक्षा स्टाफ को इंटरनेट चालू करने के लिए कहा। श्री सुशील कुमार को वैन से बाहर लाया गया और फेसबुक से उपर्युक्त पोस्ट को हटाने के लिए उन्हें मजबूर किया। इसी बीच, उन्होंने देखा कि इस पोस्ट को भारी संख्या में लोगों ने लाइक (पसंद) किया है, अतः उन्होंने पोस्ट को हटाने की बजाय सुशील कुमार को माफीनामा अपलोड करने के लिए मजबूर किया। यहां उन्होंने सुशील कुमार को धमकी और गालियां दीं। यह देखने के बाद कि उपर्युक्त पोस्ट हटा दी गई है। वे सुशील कुमार की तलाश में सुरक्षा कार्यालय के मेन गेट पर आ गए परन्तु उस समय तक सुशील कुमार कैम्पस छोड़ चुका था।

कैम्पस छोड़ने के बाद, सुशील कुमार को उसी रात अर्थात् 04 अगस्त, 2015 को पेट दर्द, खून की उल्टी और छोटी-मोटी चोट के कारण अर्चना अस्पताल, मेडिनागुडा में भर्ती करवाया गया था। सुशील कुमार की माता ने 04 अगस्त, 2015 को साइवराबाद पुलिस स्टेशन में इस घटना की एफआईआर दर्ज की।

श्री कृष्णा चैतन्य, महासचिव, एबीवीपी, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने 3/4 अगस्त, 2015 की रात हुई घटना की 04 अगस्त, 2015 को कुलपित से शिकायत की। इसके साथ-साथ ही सुश्री रूपा ने 04 अगस्त, 2015 को तीन छात्रों अर्थात् विन्सेंट, प्रशांत और अशोक की रिहाई के लिए कुलपित को आवेदन दिया, ये सभी छात्र एएसए से संबंध रखते थे और उन्हें 04 अगस्त, 2015 के तड़के-तड़के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

यह मामला प्रोक्टोरियल बोर्ड (प्रशासनिक बोर्ड) को जांच के लिए भेजा गया था। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने अस्पताल में दाखिल सुशील कुमार की जांच किए बिना 12.08.2015 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस अंतरित रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि (i) सुशील कुमार को फेसबुक पर इस प्रकार की टिप्पणी पोस्ट करने के लिए कड़ी चेतावनी दी जाए और (ii) श्री डी. प्रशांत, श्री विन्सेंट, श्री रोहित वेमुला, श्री पी.विजय, श्री सुनकन्ना और श्री सेशु चेमुदुगुन्टा को समुचित प्राधिकारियों के पास शिकायत करने की बजाय आधी रात को

सुशील कुमार के कमरे और छात्रावास में जाने और फेसबुक से उसकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने और उसे हटाने के लिए कड़ी चेतावनी दी जाए। ये चेतावनी संबंधित छात्रों को जारी की गई थी।

बाद में, प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सुशील कुमार के बयान को रिकार्ड किया और अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए तथा 31 अगस्त, 2015 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रोक्टोरियल बोर्ड के निर्णय निम्नानुसार थेः

- (i) श्री दोन्ता प्रशांत, श्री रोहित वेमुला, श्री पी. विजय और श्री सेशु चेमुदुगुन्टा को सुशील कुमार को कमरे पर 30 लोगों के ले जाने की अगुवाई करने, उसे गाली देने और चोट मारने के लिए उन्हें चल रहे/मौजूदा सेमेस्टर के लिए तत्काल प्रभाव से कक्षाओं या पाठ्यक्रमों, छात्रावासों और छात्र को विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाली अन्य संबंधित/उससे जुड़ी चीजों से उनका पूर्णतः निलम्बन किया जाए।
- (ii) श्री वेलपुला सुनकन्ना जिसने 3/4 अगस्त 2015 की रात में हुई घटना में सिक्रय भाग लिया था, को प्रोक्टोरियल बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया गया था। अतः कुलपित को उसके विरूद्ध समुचित और कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।
- (iii) प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सभी छात्रों, राजनैतिक समूहों को किसी भी तरह की अनुशासनहीनता कार्यों में शामिल न होने के लिए कठोर चेतावनी जारी करने हेतु कुलपति को सुझाव दिया था।

प्रोक्टोरियल बोर्ड के दिनांक 31.08.2015 के निर्णय को हैदरबाद विश्वविद्यालय के परिसर (ईसी) ने अनुमोदित कर दिया था।

विश्वविद्यालय के निर्णय पर गुस्साए एएसए के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दो दिन तक कार्य पर नहीं आने दिया और तत्कालीन प्रभारी कुलपित प्रो. आर.पी. शर्मा को इस शर्त पर कि मामले कि एक नई समिति द्वारा जांच की जाएगी, आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर किया।

प्रो. शर्मा द्वारा समिति का गठन किया गया था परन्तु समिति ने सितम्बर, 2015 के आखिर में प्रो. अप्पा राव द्वारा कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपना उत्तर दिया जिसमें कहा गया था कि प्रोक्टोरियल बोर्ड और कार्यकारी समिति जैसे सांविधिक निकायों की सिफारिशों की ऐसी समिति द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है।

इस बीच, श्री सुशील कुमार की माता ने हैदराबाद उच्च न्यायालय में एक मामला दायर कर दिया और न्यायालय ने विश्वविद्यालय से प्रोक्टोरियल बोर्ड की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई थी के बारे में सूचित करने के लिए कहा। विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी की। नवम्बर, 2015 के मध्य में उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को न्ययालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सख्त आदेश दिए। उसके बाद विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय के डीन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जिसमें परीक्षा नियंत्रक, मुख्य वार्डन और डीन छात्र कल्याण को भी बुलाया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया था कि विरण्ठतम प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद उप समिति मामले की जांच करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। क्योंकि कार्यकारी परिषद में दलित समुदाय का कोई भी सदस्य नहीं था इसलिए यह अनुरोध किया गया था कि डीन छात्र कल्याण (प्रो. पी. प्रकाश बाबू) को कार्यकारी उप समिति में शामिल करने के लिए सिमिति का सदस्य बना दिया जाए। प्रो पी. प्रकाश बाबू विश्वविद्यालय के सांविधिक अधिकारी भी थे।

कार्यकारी परिषद उप सिमिति ने अच्छे खासे लंबे विचार विमर्श और विश्वविद्यालय के सुरक्षा और स्थानीय अधिकारियों से परामर्श के बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड की सिफारिशों को मानते हुए कार्यकारी परिषद को सिफारिश की कि उक्त 5 छात्रों को पहले सिफारिश के अनुसार दंड दिया जाए। पूर्ण कार्यकारी परिषद की बैठक, जोिक की गई कार्रवाई प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के एक दिन बाद आयोजित की गई थी, में कुलपित ने कार्यकारी परिषद को थोड़ा सा नरम रवैया अपनाने का प्रस्ताव किया क्योंकि प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये सेमेस्टर निष्कासन का दंड उन्हें अपने पीएच डी कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए छात्रवृति से वंचित कर देगा। पूर्ण कार्यकारी परिषद वीसी के प्रस्ताव से सहमत थी परन्तु यह संकेत दिया गया था कि दंडित छात्रों को केवल संबंधित विभागों, पुस्तकालयों और शैक्षिक बैठकों की अनुमित दी जाएगी न कि छात्रावास, प्रशासन और अन्य परिषद के सार्वजनिक स्थानों की। कार्यकारी परिसर के निर्णय को मुख्य वार्डन द्वारा लगभग 20 दिसम्बर, 2015 के आसपास छात्रों को सूचित किया गया था और उन्हें छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया था। मुख्य वार्डन ने विश्वविद्यालय को रिपोर्ट के अनुपालन की सूचना दी थी। छात्रों का एक समूह कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं

था। छात्रों के एक दल ने कुलपित से मुलाकात की और छात्रावास निलंबन को वापस लेने की मांग की क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि यह उनके लिए "सामाजिक बहिष्कार" था। उन्होंने कार्यकारी परिषद द्वारा दिए गए दंड को श्री बंडारू दत्तात्रेय, राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी को तथाकथित रूप से लिखे गए पत्र जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया गया था से भी जोड़ा। विश्वविद्यालय ने छात्रों को समुचित ढंग से बताया कि इस पत्र का कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था और इस पत्र का अर्थात् कार्यकारी परिषद पर कोई प्रभाव नहीं है।

पांच छात्र जिन्हें छात्रावास से निष्काषित किया गया था, छात्रावास से निलंबन पर स्थगन (स्टे) के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय में चले गए। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उनकी याचिका पर श्री सुशील कुमार की माता द्वारा पहले से दायर की गई याचिका के साथ सुनवाई होगी और मामले को 19 जनवरी, 2016 को सुनवाई के लिए शामिल किया गया था।

03 जनवरी, 2016 को छात्रों ने विश्वविद्यालय के शॉपिंग कॉम्पलेक्स में "स्लीप इन ओपन" के रूप में आंदोलन करने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां एक छोटा सा टैन्ट लगाया और सोना शुरू कर दिया। डीन छात्र कल्याण छात्रों के लगातार संपर्क में रहे और उन्हें न्यायालय के निर्णय का इंतजार करने के लिए सलाह दी।

दिनांक 13 जनवरी, 2016 को जब नियमित कुलपित बाहर थे, छात्रों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के सदस्यों ने प्रशासनिक भवन बंद कर दिया और कर्मचारियों को अपना कार्य नहीं करने दिया था। उन्होंने नियमित कुलपित को बुलाने और निलंबन वापस लेने की मांग की तभी वे विश्वविद्यालय को कार्य करने देंगे। कुलपित दिनांक 13 की रात को आए और की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दिनांक 14 जनवरी, को स्थानीय ईसी सदस्यों, विरष्ठ डीन और छात्र कल्याण डीन की बैठक आयोजित की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रशासन को कार्य करने की अनुमित देने के लिए लिखित के साथ-साथ मौखिक अपील की जाए और यदि छात्र नहीं मानते हैं तो विश्वविद्यालय में कार्यों के वास्ते पुलिस की सहायता ली जाएगी। दिनांक 14 जनवरी की सुबह छात्रों ने कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में आने दिया। कुलपित ने छात्रों के साथ विचार-विमर्श जारी रखा और उनसे कोर्ट का निर्णय

आने तक प्रतीक्षा करने को कहा क्योंकि मामला विश्वविद्यालय में न्यायाधीन था लेकिन कुलपति की अपील व्यर्थ रही और छात्रों ने अपनी हड़ताल जारी रखी।

17 जनवरी, 2016 को अचानक रात 7 बजे श्री रोहित वेमुला की आत्महत्या का दुखद समाचार आया।

दिनांक 18 और 19 जनवरी को इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा समग्र मामले की नियमित रूप से सूचना दी गई थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श करके अपनी दो सदस्यी समिति विश्वविद्यालय भेजी और समिति ने अपनी रिपोर्ट 22.01.2016 को प्रस्तुत की थी।

बाद में केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के (60) की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया और मुझे दिनांक 2 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ.325(ई) के मार्फत जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग के लिए विचारार्थ विषय निम्नवत थेः

- (i) हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध स्कॉलर श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की मृत्यु और कमियां, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायित्व नियत करना।
- (ii) विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए मौजूदा शिकायत तंत्र की समीक्षा करना और सुधार हेतु सुझाव देना।

जांच का स्थान और तारीख

जांच के संबंध में, मैंने हैदराबाद विश्वविद्यालय का दिनांक 23 फरवरी से 25 फरवरी, 2016 तक दौरा किया और जांच आयोजित की। दिनांक 23.02.2016 को आयोग के समक्ष निम्नलिखित स्टेकहोल्डर आए और बयान दिएः

- 1. श्री लक्काकुला अय्या, पुत्र श्री जगदेश्वर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तेलंगाना परिषद के राज्य सचिव
- 2. श्री पी. तुकाराम, अध्यक्ष, श्री बी. श्रीनिवास, महासचिव और श्री आशीष जैकब थॉमस, सदस्य अधिकारी एसोसिएशन, हैदराबाद विश्वविद्यालय

- 3. श्री सुधाकर बाबू, डॉ. जी. श्रीदेवी और डॉ. सी. बी. ईश्वरा राव, आयोजक, अनु. जाति/अनु. जनजाति संकाय फोरम, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय
- 4. श्री एम. बालाकृष्ण, सलाहकार और श्री डी. शिवय्या, महासचिव, हैदराबाद विश्वविद्यालय स्टाफ यूनियन
- 5. श्री आर. गंगाराज्, अध्यक्ष और श्री जे. निरंजन रेड्डी, महासचिव, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी एसोसिएशन, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 6. श्री टी. नारायणा, अध्यक्ष और श्री एम. मुनिया नाईक, महासचिव, अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 7. श्री पी. रघुराम, अध्यक्ष, श्री डी. अशोक बाबू, उपाध्यक्ष और अन्य, हैदराबाद विश्वविद्यालय अनु. जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन

1. श्री लक्काकुला अय्या, पुत्र श्री जगदेश्वर द्वारा दिए गए शपथपत्र में यह कहा गया था कि श्री रोहित वेमुला की मृत्यु का कई संगठनों के लिए अपनी कार्यसूची के लिए उपयोग किया गया है और एबीवीपी को दोष दिया जा रहा है और इस दुर्भाग्यपूर्ण मृद्दे में घसीटा जा रहा है। शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रोहित वेमुला की आत्महत्या से पूर्व लगभग 11 छात्र पहले ही हैदराबाद विश्वविद्यालय में आत्महत्या कर चुके थे जिसका उल्लेख शपथपत्र के पैरा 7 में किया गया है। शपथपत्र के पैरा 9 में यह बताया गया है कि एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-ईतेहादुल-मुस्लिमीन) के नेता विश्वविद्यालय में अक्सर आ रहे हैं और अंबेडकर छात्र एसोसिएशन (एएसए) के छात्रों से बैठकें आयोजित कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्र विरोधी/संदिग्ध गतिविधियों के लिए उकसाते हैं जो देश की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता के खतरा हैं। 30.07.2015 को, अंबेडकर छात्र एसोसिएशन के छात्रों ने आतंकवादी याकूब मैनन को फांसी पर लटकाने के लिए सरकार का विरोध किया और आतंक के हित में नारे लगाए। इसके खिलाफ, एबीवीपी ने 04.08.2015 को शांतिपूर्ण विरोध बैठक की योजना बनाई। 03.08.2015 की शाम को, श्री नंदनम सुशील कुमार ने इस मुद्दे के संबंध में एक गुप्त टिप्पणी डाली जिसे अंबेडकर छात्र एसोसिएशन ने पसन्द नहीं किया। 03.08.2015 की रात को, इन टिप्पणियों के लिए अंबेडकर छात्र एसोसिएशन के छात्रों द्वारा उसे निर्दयता से पीटा गया और लिखित में माफी देने को मजबूर किया गया था। बाद में, प्रोक्टोरियल बोर्ड ने अंबेडकर छात्र एसोसिएशन के कुछ छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। इनमें से रोहित भी एक था। बाद में रोहित ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले अपने पत्र में उसने किसी का नाम नहीं लिया किंतु फिर भी रोहित के मित्र और संयुक्त कार्रवाई समिति उसकी मृत्यु को

विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई से जोड़ने पर उतारू थे। लक्काकुला अयप्पा ने यह भी कहा है कि रोहित का एएसए और एसएफआई से मोह भंग हो गया था जो उसके आत्महत्या के नोट से भी स्पष्ट है। श्री अयप्पा ने यह भी कहा कि रोहित जाति आधार पर विश्वविद्यालय प्राधिकरणों के खिलाफ एएसए के आंदोलन के विरोध में था और इसीलिए उसके साथी छात्रों ने, जिन्हें उसे ब्लैकमेल करने के लिए निलंबित कर दिया गया था कि उसके जाली जाति प्रमाणपत्र का खुलासा कर दिया जाएगा और इसीलिए संभव है कि इस तथ्य की वजह से रोहित ने आत्महत्या की।

- 2. हैदराबाद विश्वविद्यालय की अधिकारी एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में जोर देकर यह कहा गया है कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के लिए उप-कुलपित सहित कोई भी उत्तरदायी नहीं है। उसके आत्महत्या के नोट से यह प्रतीत होता है कि वह कुछ संगठनों के बारे में कुछ कहना चाहता था जो संभवतः उसे परेशान कर रहे हों और जिनकी वजह से वह आत्महत्या करने की मनोस्थिति में आया। विश्वविद्यालय के वातावरण में सुधार लाने के लिए भी कुछ उपाय सुझाए गए हैं।
- 3. अनु. जाति और अनु. जनजाति संकाय फोरम, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए जापन में 3/4 अगस्त, 2015 की घटना के संबंध में पांच छात्रों को दिए गए दण्ड की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया गया। जापन में यह कहा गया था कि भाजपा के बड़े नेताओं ने विश्वविद्यालय में जबरन प्रवेश किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हुए धरना दिया कि वह पांच अनु. जाति के छात्रों पर कार्रवाई करे। यह कहा गया था कि श्री रामचंद्र राव, भाजपा के एमएलसी ने अनु. जाति के पांच छात्रों के निलंबन की मांग करते हुए उप-कुलपति के कार्यालय में जबरन प्रवेश किया। इस जापन में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा दिए गए दण्ड की वैधता पर उंगली उठाई गई।

फोरम द्वारा विश्वविद्यालय के वातावरण में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं।

4. हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्टाफ यूनियन द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि इस घटना के लिए न तो उपकुलपित उत्तरदायी है और न ही कोई अधिकारी। उन्होंने कहा कि पांच छात्रों के निलंबन का निर्णय विश्वविद्यालय की ईसी में पूरी तरह विचार-विमर्श करने के बाद लिया गया था। उन्होंने विश्वविद्यालय के वातावरण में सुधार लाने के लिए भी कितिपय उपाय भी सुझाए हैं।

- 5. नॉन टीचिंग कर्मचारी एसोसिएशन, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने भी ज्ञापन दिया जिसमें विश्वविद्यालय को किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। तथापि, उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ छात्रों में पनप रही किसी भी प्रकार की हताशा को रोकने के लिए छात्र शिकायत समिति और परामर्श केन्द्रों को अधिक सिक्रय करना होगा।
- 6. हैदराबाद विश्वविद्यालय की अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा दिए गए जापन में यह कहा गया है कि इस संबंध में पूरी छानबीन की जानी चाहिए कि विश्वविद्यालय में दिलत छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। जापन में यह भी कहा गया कि पहले की गई आत्महत्याओं के संबंध में नियुक्त छानबीन समितियों द्वारा सिफारिशें की गई हैं किंतु इन पर कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए जांच अपेक्षित है। यह भी सुझाव दिया गया कि अनु. जाति/अनु. जनजाति समुदाय, हैदराबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद सहित सभी समितियों में होंगे।
- 7. हैदराबाद विश्वविद्यालय की अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों पर टिप्पणी नहीं की गई जिनके कारण रोहित वेमुला ने मौत की ओर रूख किया। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी छात्रों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालय को छात्रों से निरंतर बातचीत करनी चाहिए चाहे उनकी जाति कोई भी हो और छात्रों को परामर्श केंद्रों पर एक मंच पर मिलना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय में कोई धृष्ट घटना न हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय की दिन-प्रतिदिन की कार्रवाई में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि छात्रों को परामर्श दिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मुक्त होकर उनके साथ काम करने देना चाहिए और उन पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। उनका यह भी अभिमत था कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा सभी स्तरों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

24.02.2016 को आयोग के समक्ष निम्नलिखित स्टेकहोल्डर उपस्थित हुए और निम्न प्रकार अपनी बात कही:

- 1. डॉ. आलोक पांडे, मुख्य प्रॉक्टर, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 2. डॉ. श्रीपति रामुडु, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सेंटर फॉर सोशल एक्सकलुजन एंड इन्क्ल्जन पॉलिसी, सामाजिक विज्ञान, हैदराबाद विश्वविद्यालय

- 3. डॉ. देबाशीष आचार्य, मुख्य वार्डन, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 4. प्रो. पी. प्रकाश बाबू, छात्र कल्याण डीन, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 5. छात्र शिकायत प्रकोष्ठ और रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 6. श्री पी. अजय बाबू, सहायक रजिस्ट्रार (आरक्षण), हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 7. दिव्यांग व्यक्तित्यों के लिए अधिकार प्राप्त समिति समूह, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 8. प्रो. वी. कृष्ण, परीक्षा नियंत्रक और श्री देवेश निगम, संयुक्त रजिस्ट्रार, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 9. प्रो. विपिन श्रीवास्तव, भौतिकी प्रोफेसर और पूर्व (प्रभारी) उप-कुलपति
- 10.डॉ. सी. राघव रेड्डी, अध्यक्ष, सेंटर फोर नॉलेज कल्चर एण्ड इनोवेशन स्टडीज (सीकेसीआईएस), सामाजिक विज्ञान विदयालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 11.श्री एन. सुशील कुमार, पुत्र श्री एन. करूणाकर, निवासी- हुडा कॉलोनी, चंदा नगर, हैदराबाद
- 1. डॉ. आलोक पांडे, मुख्य प्रोक्टर, हैदराबाद विश्वविद्यालय आयोग के समक्ष पेश हुए और उन्होंने पूरी घटना के संबंध में ऑडियो-विडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफ सहित तीन फाईलें प्रस्तुत की। डॉ. आलोक पांडे द्वारा दी गई पहली फाईल में यह कहा गया कि यह सच नहीं है कि संकाय सदस्यों के अनुसूचित जाित के उम्मीदवारों को शिकार बनाया जा रहा है। उनके अनुसार, सभी प्रमुख पदों अर्थात मुख्य वार्डन, डीन, छात्र कल्याण, परीक्षा नियंत्रक, आईक्यूएसी, एससी उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाित के उम्मीदवारों का लंबे समय से छात्र एसोसिएशनों और शिक्षक एसोसिएशनों में काफी बड़ा हिस्सा रहा है।
- 2. डॉ. श्रीपित रामुडु, एसोसिएट प्रोफेसर एवं हैड, सेंटर फॉर सोशल एक्सकलुजन एंड इन्कुलुजन पॉलिसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय आयोग के समक्ष आए और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें श्री रोहित वेमुला की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का वर्णन था। उन्होंने बताया कि मौजूदा कुलपित, प्रो. अप्पा राव का अनुसूचित जाति के छात्रों ने प्रति अलग रवैया था। प्रो. राव ने छात्रों को प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा दिए गए दंड में संशोधन किया था। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने केवल एक सेमेस्टर के लिए निलंबन की सिफारिश की थी जबिक प्रो. अप्पा राव ने छात्रों को हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया था।
- 3. श्री देबाशीष आचार्य, मुख्य वार्डन, आयोग के समक्ष आए और मौखिल रूप से कहा कि उन्हें श्री रोहित वेमुला की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार वास्तविक परिस्थितियों के बारे में पता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उसका छात्रावास से निष्कासन आत्महत्या का एक

कारण हो सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि शोध स्कालरों, गाइड और फैकल्टी सदस्यों के बीच नियमित विचार-विमर्श होना चाहिए और छात्रों को नियमित परामर्श की भी आवश्यकता है।

- 4. प्रो. पी. प्रकाश बाबू, डीन छात्र कल्याण, हैदराबाद विश्वविद्यालय समिति के समक्ष आए और दिनांक 04.08.2015 और उसके बाद की घटना के बारे में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 5. डीन, छात्र कल्याण हैदराबाद विश्वविद्यालय ने एक लिखित ज्ञापन दिया और कहा कि वर्तमान शैक्षिक वर्ष में विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
- 6. श्री पी. अजय बाबू सहायक रजिस्ट्रार (आरक्षण) हैदराबाद विश्वविद्यालय समान अवसर सैल और एससी/एसटी सैल की ओर से उपस्थित हुए और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में एससी/एसटी छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समान अवसर सैल और परामर्शी समिति स्थापित की गई है।
- 7. हैदराबाद विश्वविद्यालय के दिव्यांगों की सशक्त सिमिति का एक समूह आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ और एक लिखित ज्ञापन के माध्यम से गवाही दी थी। इस समूह ने बताया कि श्री रोहित वेमुला अनुसूचित जाित उम्मीदवार नहीं थे बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग से थे जिसकी पुष्टि उनके पिता द्वारा टेलीविजन पर दिए साक्षात्कार से की जा सकती है। यह भी बताया था कि श्री रोहित वेमुला एक मेधावी और प्रसन्नचित व्यक्ति था। इस समूह ने वर्तमान कुलपित, प्रो. अप्पा राव की सहारना की और बताया कि उनको हटाने के लिए ये सारी कहानी बनायी गई थी और वास्तविकता वो नहीं थी जिस तरह मीडिया ने प्रस्तृत की।
- 8. प्रो. वी. कृष्ण, परीक्षा नियंत्रक और श्री देवेश निगम, संयुक्त रजिस्ट्रार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और बताया था कि श्री रोहित वेमुला और अन्य चार निष्कासित छात्रों ने विश्वविद्यालय के शिकायत निवारण सैल से कभी संपर्क नहीं किया था।
- 9. प्रो. विपिन श्रीवास्तव, पूर्व कुलपित (प्रभारी) ने एक लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किया था और बताया था कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यकलापों अर्थात् शिक्षण और शोध करने के लिए छात्रों अथवा सहपाठियों के विरूद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने छात्रों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के सुधार हेतु सुझाव दिए थे।

- 10. डॉ. सी. राघव रेड्डी, प्रमुख, ज्ञान, संस्कृति और नवाचार अध्ययन केन्द्र (सीकेसीआईएस), सामाजिक विज्ञान स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि वे अगस्त, 2015 तक श्री रोहित वेमुला के संपर्क में थे। उनके अनुसार वह एक मेधावी छात्र था। तथापि, वह उन परिस्थितियों के बारे में नहीं बता पाया जिनके तहत यह मृत्यु हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों की भलाई के लिए नियमित तौर पर काउंसलिंग की जानी चाहिए।
- 11. श्री एन. सुशील कुमार ने एक शपथ पत्र दिया जिसमें उन्होंने इस घटना के पूरे कांड का वर्णन किया और एन. सुशील कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं चार अन्य के बीच रिट याचिका सं.2016 की 2816 में दायर किए गए शपथ पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की। इस शपथ पत्र में उन्होंने अम्बेडकर छात्र संघ पर आरोप लगाया है।

दिनांक 25.02.2016 को निम्नलिखित व्यक्ति/समूह आयोग के समक्ष पेश हुए और अपनी बात कही:

- 1. प्रो. अप्पा राव पोडिल, कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 2. श्री एम. सुधाकर राव, कुलसचिव (प्रभारी), हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 3. श्री बी. पांडु रेड्डी, वित्त अधिकारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 4. डॉ. सुरेश येनुगु, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 5. श्री संजय स्बोध एवं अन्य
- 6. प्रो. कोलू वी.ए., जैव रसायन विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 7. डॉ. वाई.ए. सुधारकर रेड्डी, लोक संस्कृति अध्ययन केन्द्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 8. डॉ. जे.एस.एस. प्रकाश एवं अन्य
- 9. डॉ. ए.सी. नारायण, भूविज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 10.प्रो. पी.बी. कीर्ती एवं अन्य
- 11.डॉ. ए. बिन्दु माधव रेड्डी एवं अन्य
- 12.श्रीमती एन. विनाया (सुशील कुमार की माताजी)
- 13.प्रो. पंचानन मोहन्ती
- 14.श्री बी. नरसिम्लु, पूर्व आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
- 15.श्री के. लक्ष्मी नारायणन एवं अन्य, पूर्व पदाधिकारीगण, हैदराबाद विश्वविद्यालय

- 16.शिक्षक संघ के सदस्य, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 17.प्रो. एन. दुर्गा प्रसाद, डीन, रसायन शास्त्र स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 18.प्रो. टुटुन मुखर्जी, तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 19.डॉ. शारदादेवी तेताली एवं अन्य, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 20.श्री कोथाकप्पु श्रीधर रेड्डी
- 21. संबंधित शिक्षक, वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 22.प्रो. डी. मनोहर राव, अध्यक्ष, शहीद स्मारक अनुसंधान संस्थान (एमएमआरआई), हैदराबाद
- 23.सुश्री अर्पिता साहू, एक छात्रा, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 24.श्री शिवम सलूजा, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 1. प्रो. अप्पा राव पोडाइल, कुलपित ने आयोग के समक्ष अपने ब्यान में श्री रोहित वेमुला की आत्महत्या के संबंध में घटनाओं का ब्यौरा दोहराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पांच छात्रों को दिए गए दंड के अंतिम निर्णय के लिए केवल कुलपित को फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित वेमुला की आत्महत्या नोट में उसकी आत्महत्या के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है।
- श्री एम. सुधाकर, कुलसचिव (प्रभारी), हैदराबाद विश्वविद्यालय ने भी उन घटनाओं के बारे में ब्यान दिया जैसा कि उन्होंने पहले कहा था और उन घटनाओं का अंत रोहित वेमुला की आत्महत्या से हुआ। कुलसचिव (प्रभारी), हैदराबाद विश्वविद्यालय ने श्री रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या के मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट दी।
- 3. श्री बी. पांडु रेड्डी ने अपने बयान में सहायक दस्तावेजों के साथ स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती आर. वेमूला, पीएच.डी छात्र को फैलोशिप के भुगतान पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके अनुसार रोहित को 6 महीने 16 दिन और उसकी मृत्यु तक की अविध के लिए 1,77,403/- रूपए की राशि का भुगतान नहीं किया गया था और अब इस राशि का भुगतान कर दिया गया है।
- 4. डॉ. सुरेश येनुगु एवं अन्यों ने अपने प्रतिवेदन में न तो किसी व्यक्ति को अथवा लोगों के किसी समूह को या किसी संगठन को आरोपित किया जो इस पूरे मामले में शामिल थे। उनका मुख्य बल छात्रों में अनुशासन पर था। उन्होंने इस बात पर बल

दिया कि विश्वविद्यालय प्राधिकरण श्री रोहित वेमुला की आत्महत्या के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं।

- 5. श्री संजय सुबोध एवं अन्यों ने श्री रोहित वेमुला की मृत्यु तक की घटनाओं को पूरी तरह से बयान किया।
- 6. प्रो. कोलुरू वी.ए. रमैया, जैव रसायनशास्त्र विभाग, जीव विज्ञान स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के सामान्य अभिशासन से संबंधित सूचना प्रस्तुत की।
- 7. डॉ. वाई.ए. सुधाकर रेड्डी, लोक संस्कृति अध्ययन केन्द्र, समाज विज्ञान स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने अपने बयान में श्री रोहित वेमुला की मृत्यु तक उन घटनाओं को दोहराया जो इस बीच हुई थी।
- 8. डॉ. जे.एस.एस. प्रकाश एवं अन्यों ने प्रो. अप्पा राव पोडिल, कुलपित का इस मामले में की गई कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि विश्वविद्यालय को एक ऐसे ही कुलपित की अपेक्षा है और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई ठीक थी।
- प्रो. ए.सी. नरायण, भू-विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने भी वर्तमान मामले में कुलपित द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया।
- 10. जीव विज्ञान स्कूल के संकाय जिनमें प्रो. पी.बी. कीर्ती एवं अन्य थे, ने भी कुलपित की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए तरीकों का भी सुझाव दिया।
- 11. डॉ. ए. बिन्दु माधव रेड्डी एवं अन्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में ये कहा गया है कि श्री रोहित वेमुला ने एसएफआई के बैनर के तहत एक पार्षद के रूप में छात्र निकाय का चुनाव लड़ा था। तथापि, वे हार गए। तब से उन्होंने न केवल अकादिमिक गतिविधियों में अपितु अपने समग्र हित में अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया। वह उनके पास आया था और यह सूचित किया कि वह पीएच.डी कार्यक्रम छोड़ रहा है क्योंकि उसकी सिविल सेवाओं में दिलचस्पी थी। तथापि, उसने समाज विज्ञान में अपनी पीएच.डी जारी रखी और ये व्यक्त किया कि वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। उसने एसएफआई की बजाय अम्बेडकर

छात्र संघ में सिक्रिय रूप से भाग लिया। उसके कार्यकलापों ने विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासकीय वातावरण को बाधित किया। इस ज्ञापन से ऐसा लगता है कि श्री रोहित वेमुला और छात्रों के एक समूह ने कभी भी शैक्षिक शास्त्र के बारे में परवाह नहीं की और दुर्व्यवहार किया तथा उसके विरूद्ध की गई कार्रवाई आवश्यक थी।

- 12. श्री एन. विनाया, सुशील कुमार की माताजी ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया और अपने बेटे के विरूद्ध एएसए की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने तेलंगाना राज्य एवं अन्य और उनके बीच रिट याचिका सं.2015 की 28073 के शपथ पत्र की एक प्रति भी दायर की जो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
- 13. श्री पंचानन मोहन्ती ने अपने पत्र में बताया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ने छात्रों के दाखिले में आरक्षित कोटा को भरने के लिए हमेशा ईमानदारी से प्रयास किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के विरूद्ध भेदभाव की शिकायतें थीं, परन्तु यह अधिक नहीं थी।
- 14. श्री बुधि नरसिम्लू, पूर्व आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी ने कहा कि श्री रोहित वेमुला एक मेधावी छात्र था परन्तु वह अवांछित कार्यकलापों में शामिल था। उसके कार्यकलाप, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सहन करने योग्य नहीं थे। उसकी मृत्यु मुख्यतः उन मजबूर करने वाली परिस्थितियों के कारण थी जो उसके ऊपर आस-पास की घटनाओं से थोपी गई थीं, जिनमें वह घिरा हुआ था। यह कहना गलत है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने श्री रोहित वेमुला को मार डाला। यह केवल विद्यालय को बदनाम करना था और कुछ नहीं।
- 15. हैदराबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों ने उन परिस्थितियों जिनके कारण श्री रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, क्या थी, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला।
- 16. हैदराबाद विश्वविद्यालय के संबंधित शिक्षकों द्वारा दी गई प्रस्तुति में यह कहा गया कि रोहित वेमुला और अन्यों को दिया गया दंड प्रक्रियात्मक चूकों से भरा हुआ है और यह अधिक था, अनुपात में नहीं था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। उन्होंने विश्वविद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए उपायों का भी सुझाव दिया है।

संकाय सदस्यों ने अपनी प्रस्तुतियों में कहा कि कार्यकारी परिषद में जिन्होंने पांच छात्रों को निलंबित किया था केवल एक ही दलित सदस्य था जो अधिक कुछ नहीं कर सका। यह कहा गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्री का वकतव्य उचित नहीं और उसके दुख की गरिमा को कम करने वाला था।

- 17. प्रो. एम. दुर्गा प्रसाद, डीन, रसायन शास्त्र सकूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने श्री रोहित वेमुला की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया।
- 18. श्री टुटुन मुखर्जी ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) इस मामले को हल नहीं करना चाहती है क्योंकि कुछ शिक्षक छात्रों को बरगला कर उनके दिमाग में ज़हर घोल रहे हैं।
- 19. डॉ. सारदादेवी तेताली एवं अन्यों ने कुलपित प्रो. अप्पा राव पोडाइल का समर्थन किया।
- 20. श्री कोथाकप्पु श्रीधर रेड्डी ने एक शपथ पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि अम्बेडकर छात्र संघ के सदस्य विश्वविद्यालय के छात्रों को धमका रहे हैं।
- 21. हैदराबाद विश्वविद्यालय के संबंधित शिक्षकों, वैज्ञानिकों और अकादिमकों ने विश्वविद्यालय के वातावरण में स्धार के लिए सुझाव दिए।
- 22. प्रो. डी. मनोहर राव, अध्यक्ष, शहीद स्मारक अनुसंधान संस्थान (एमएमआरआई) ने अपने ज्ञापन ने बताया कि श्री रोहित वेमुला की मृत्यु को कुछ अवांछित तत्वों द्वारा नृशंस हत्या के कोण से देखा जाना चाहिए क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उनका इससे राजनीतिक लाभ उठाने का इरादा है।
- 23. सुश्री अर्पिता साहू ने अपने ज्ञापन में इस घटना के तथ्यों को दोहराया और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्रश्न उठाए।
- 24. श्री शिवम सल्जा ने अपने पत्र में कहा कि उन एएसए छात्रों ने जिन्होंने रोहित को उसके कमरे में मृत पाया, न तो पुलिस को बुलाया, न डॉक्टर को बुलाया और न ही उन्होंने उसके शव को ले जाने के लिए पुलिस को अनुमित दी, जोकि संदेहास्पद है।

मेंने हैदराबाद का 21 मार्च, 2016 को दोबारा दौरा किया और निम्नलिखित स्टेकहोल्डरों से मिला।

- 1. श्री वी. प्रसन्न कुमार, पूर्व संयुक्त कुलसचिव, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 2. हैदराबाद विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य
- 3. श्री सनाकी मुन्ना, छात्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 4. श्रीमती वी. राधिका, (रोहित वेमुला का माताजी)
- 5. श्री वेदपुडी विजय कुमार, छात्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 6. श्री शेशैया चेमुडुगुंटा, छात्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 7. संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के सदस्य
- 8. श्री दोंथा प्रसान्त, छात्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय
- 1. श्री वी. प्रसन्न कुमार ने मौखिक रूप से कहा कि श्री रोहित वेमुला का आत्महत्या करना उसका स्वयं का निर्णय था और यह विश्वविद्यालय के किसी भी परिस्थिति अर्थात् होस्टल से उसका निलंबन अथवा निष्कासन के कारण नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि श्री वेमुला की कुछ पारिवारिक समस्याएं थीं जिसके कारण ये आत्महत्या हो सकती है। विश्वविद्यालय के वातावरण में सुधार के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया कि समेकित पाठ्यक्रम को हटा देना चाहिए और कुलपित की शक्तियों को और मजबूत किया गया।
- 2. हैदराबाद विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने घटना और निरोधी उपायों के बारे में, जो विश्वविद्यालय के वातावरण को सुधारने में सहायक हो सकते हों, लिखित में दिया है।
- 3. श्री सनाकी मुन्ना ने उन तथ्यों के बारे में संक्षेप में बताया जिनके कारण उसे अन्य चार निलंबित छात्रों के साथ लिक्षित किया गया था। उन्होंने बताया कि रोहित की मृत्यु का केवल एक कारण कुलपित अप्पा राव है जिन्होंने अपनी सभी शक्तियों का दुरूपयोग किया था।
- 4. श्री रोहित वेमुला की माता श्रीमती वी राधिका ने कहा कि वह अनुसूचित जाति की महिला है और उसने अपना विवाह श्री वेमुला मणि कुमार से किया है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित है। उनका सन 2006 में तलाक हो गया था। अपने तलाक के पश्चात् वह एक अन्जनी देवी के साथ रहती रहीं जिसके साथ भी उसके अच्छे संबंध

नहीं रहे उसने यह भी बताया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी उससे नहीं मिले। इसके विपरीत श्री सुशील कुमार, उसकी माता और भाई का विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से स्वागत किया। दिनांक 18.12.2015 को उसके सुपुत्र रोहित वेमुला ने प्रो. अप्पा राव, कुलपित को पत्र लिखा जिसमें विश्वविद्यालय में उसके साथ जाति भेद को लेकर किए जा रहे भेदभाव के बारे में बताया और जब वह 29.12.2015 को वह उसके (माता) के पास आया तो उसने न केवल उसके साथ हो रहे जातिगत भेदभाव की शिकायत की बल्कि यह भी कहा कि हैदराबाद भाजपा विधान परिषद् सदस्य श्री रामचंद्र राव और केंद्र की भाजपा सरकार सुशील कुमार में अधिक दिलचस्पी ले रही है और उसे उत्पीड़ित किया जा रहा है। श्री बण्डारू दत्तात्रेय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री तथा श्रीमती स्मृति ईरानी, एचआरडी मंत्री भी इस मामले में अत्यधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। उसने आगे कहा कि रोहित का विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था और उसने तनाव महस्स किया और आत्महत्या कर ली।

- 5. हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र श्री वेडापुडी विजय कुमार ने मौखिक रूप से आयोग को बताया की श्री रोहित वेमुला ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसे गलत तरीके से निलंबित किया था और जाति-पाति के आधार पर उससे भेदभाव किया जा रहा था।
- 6. श्री शेशय्या केमेडुगुंटा ने मौखिक रूप से बताया कि वह श्री रोहित वेमुला छात्रावास से उसके निलंबित किए जाने के पश्चात् मिला था। वह काफी दुखी था और अपनी जीविका के बारे में चिंतित था। वह अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में भी चिंतित था और राजनीतिज्ञों से डरा हुआ था। वह इसलिए चिंतित था कि उन परिस्थितियों में वह पीएच.डी पूरी करने में असमर्थ था।
- 7. संयुक्त कार्रवाई सिमिति के सदस्यों ने 21.03.2016 को अपना बयान लिखित में नहीं दिया। उन्होंने और समय देने का अनुरोध किया और उन्हें 31.03.2016 तक समय दे दिया गया। उन्होंने 15 दिनों का और समय लिया। अंततः उनका बयान आयोग के कार्यालय में ई-मेल के जिए 15.04.2016 को प्राप्त हुआ।

संयुक्त कार्रवाई समिति ने अपनी गवाही में कहा कि प्रोटोरियल बोर्ड ने श्री सुशील कुमार को छोड़कर इस घटना में लिप्त सभी छात्रों से पूछताछ की। ये भी कहा गया की कुलपित प्रोफेसर अप्पा राव पोडिल ने पांच दिलत अनुसंधान छात्रों के विरूद्ध षडयंत्र रचा और नए सिरे से जांच किए बिना उनका सामाजिक बहिष्करण करने का निर्णय लिया तथा उसके नृशंस निर्णय ने श्री रोहित वेमुला की जान ले ली। सिमिति ने ये भी कहा कि श्री सुशील कुमार को घटना के दौरान लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। सिमिति ने याचिका संख्या 2015 की 28073 में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।

8. दोन्ता प्रशांत ने अपना बयान ई-मेल के माध्यम से भेजा जिससे उसने कुलपित, नंदनम सुशील कुमार नंदनम, दिवाकर, कृष्णा चेतन्य, एम.एलसी राम चंद्र राव तथा मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी को रोहित वेमुला की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया।

चूंकि जांच तीन महीनों की अविध में जोकि एमएचआरडी द्वारा नियत की गई थी, पूरी करनी संभव नहीं थी अतः मेरे द्वारा 21 अप्रैल, 2016 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीनों की अविध का विस्तार करने का अनुरोध किया गया। एमएचआरडी ने दिनांक 13.05.2016 की राजपत्र की अधिसूचना के तहत 2 मई, 2016 से 1 अगस्त, 2016 तक तीन महीने की और अविध के लिए समय बढ़ा दिया।

दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को आयोग में तीन शपथ पत्र प्राप्त हुए:

- श्री कर्णेश्रीसेलम, पुत्र श्री बालेय, नेशनल प्रेसीडेंट, राष्ट्रीय रिर्जेवेशन परीक्षण समिति, रिजस्ट्रेशन नं. 1181/2010, कार्यालय- हाउस नं. 5-69-199, राजीव गांधी नगर प्रशांत नगर के समीप कुक्कटपली, हैदराबाद।
- ii. श्री तुर्कानरसिंम्हा सुपुत्र श्री रामूल्यू, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश, वेडेरा हकूला पोराटा सिमिति, (पंजीकरण सं. 970), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निवास 3-3-36/2, शाजकोंडर, एल.बी. नगर, रिंग रोड, एल.बी. नगर, हैदराबाद और
- iii. डॉ. टी.एन. वमसा तिलक सुपुत्र डॉ. टी.वी. नारायण, सचिव, सामाजिक समराष्ट वैदिक (एसएसबी) तेलंगाना, निवास 58/3 आरटी, पीएस नगर कॉलोनी, मसब टैंक, हैदराबाद-57

उपरोक्त शपथ पत्रों को देखने पर यह प्रतीत होता है कि श्रीमती वी. राधिका (श्री रोहित वेमुला की माता) ने यह उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र दिया था कि वे बडेरा समुदाय से संबद्ध हैं जो कि अनुसूचित जाति समुदाय नहीं है तथा यह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है। श्रीमती वी. राधिका के शपथ पत्र को देखते हुए आयोग द्वारा श्री रोहित

वेमुला की जाति के मामले में जांच करना उचित समझा गया चूंकि यह जांच के लिए कमीशन को भेजे गए प्रश्नों का निर्णय लेने में सहायक हो सकता था। इसलिए कमीशन ने आगे जांच के लिए 3 जून, 2016 निर्धारित की तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को समन भेजे:

- श्री कर्णेश्रीसेलम, सुपुत्र श्री बल्लैया, मकान नं. 5-69-199, राजीव गांधी नगर, नजदीक प्रशांत नगर, क्क्कटपल्ली, हैदराबाद
- 2. श्री टी. राजशेखर, आंध्र प्रदेश, उच्च न्यायालय, हैदराबाद
- 3. श्री माधुरी कुलायप्पा, एडवोकेट एवं नोटरी, मकान न. 23-5-861/10, राजपाल नगर, नजदीक सुधा टाकीज, शालीबंदा, हैदराबाद-265 (तेलंगाना)
- 4. श्री तुर्का, नरसिम्हा, सुपुत्र श्री टी. तामूल्, 3-3/36/2, साज कॉर्नर, एलबी नगर रिंग रोड, एलबी नगर, हैदरबाद
- 5. श्री सी.वी.आर. रुद्रप्रसाद, 103, साई रासमिता रेजीडेंसी रोड #9, न्यू बकरम, हैदराबाद-500080
- 6. श्री चल्लारी नागेश्वरा राव, एडवोकेट और नोटरी एचआईजी-1 बी-4, एफ-12 बगीनलिंगमपल्ली, हैदराबाद-44
- 7. श्री एम. रमन कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, माधापुर हैदराबाद-500081 (आंध्र प्रदेश)
- 8. श्रीमती महानकाली सीताम्मा सरपंच, गुरजाला गांव और मंडल जिला गंटूर, आंध्र प्रदेश
- 9. श्री जी.वी.एस. फनेंद्र बाब्, तहसीलदार गुरजाला गांव और मंडल जिला गंटूर, आंध्र प्रदेश

दिनांक 03.06.2016 को जांच आयोग हैदराबाद गया और निम्नलिखित का बयान दर्ज किया।

- 1. श्री चल्लारी नागेश्वरा राव, एडवोकेट और नोटरी, हैदराबाद
- 2. श्री माधुरी कुलायप्पा, एडवोकेट एवं नोटरी, हैदराबाद
- 3. श्री एम. रमन कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, माधापुर हैदराबाद
- 4. श्री कर्णेश्रीसेलम, सुपुत्र श्री बल्लैया, मकान नं. 5-69-199, राजीव गांधी नगर, नजदीक प्रशांत नगर, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद

- 5. श्री तुर्का, नरसिम्हा, सुपुत्र श्री टी. ताम्लू, 3-3/36/2, साज कॉर्नर, एलबी नगर रिंग रोड, एलबी नगर, हैदरबाद
- 1. श्री चल्लारी नागेश्वरा राव, एडवोकेट और नोटरी, हैदराबाद, ने श्री तुर्का, नरसिम्हा, सुपुत्र श्री टी. तामूल्, 3-3/36/2, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी साज कॉर्नर, एलबी नगर रिंग रोड, एलबी नगर, हैदरबाद के शपथ पत्र को प्रमाणित किया।
- 2. श्री माधुरी कुलायप्पा, एडवोकेट एवं नोटरी, हैदराबाद ने श्री कर्णेश्रीसेलम, सुपुत्र श्री बल्लैया, मकान नं. 5-69-199, राजीव गांधी नगर, नजदीक प्रशांत नगर, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद के शपथ पत्र को प्रमाणित किया।
- 3. श्री एम. रमन कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, माधापुर हैदराबाद ने शपथ पूर्वक कहा कि वह टी.एस. गाचिबोली, साइब्रराबाद में पंजीकृत 2016 के मामला संख्या 20 के जांच अधिकारी हैं। यह मामला श्री डी. प्रशांत द्वारा आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपबंधों के अंतर्गत एन. सुशील कुमार तथा अन्य के विरूद्ध दायर किया गया था।

जाच के दौरान उन्होंने मृतक के पिता अर्थात् वेमुला नागामणि कुमार, मृतक के दादा अर्थात् वेमुला वेंकटेश्वरल् और दादी वेमुला नागा रागवम्मा के बयान लिए। परिवार के सभी सदस्यों ने इंकार किया कि मृतक अनुसूचित जाति का सदस्य था।

मृतक के गांव की सरपंच जोकि मृतक के दूर की रिस्तेदार थी, महानकाली सीताम्मा ने उल्लेख किया कि मृतक के पिता और माता बडेरा समुदाय से संबद्ध थे जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है।

उन्होंने बनाला धनलक्ष्मी (मृतक के मामा की पत्नी) और चल्ला वीराराजू (दिवंगत के नाना के कजिन) के बयानों को भी दर्ज किया है। दोनों ने कहा है कि दिवंगत के माता और पिता वडेरा थे।

उन्होंने उस स्थान के दो व्यक्तियों अर्थात् महाकाली पदमावती और बथाला रमना के बयान भी दर्ज किए। दोनों ही श्रीमती वी. राधिका, दिवंगत की माता के दूर के रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा कि श्री वी. राधिका दिवंगत की माता वडेरा समुदाय की है। उन्होंने दिवंगत की माता के वर्ष 1981-85 के स्कूल रिकॉर्डों की भी जांच की, जहां पर उन्होंने 6वीं से 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया था। इन रिकॉर्डों में उनको वडेरा के रूप में दर्ज किया गया था। श्रीमती राधिका के पिता श्री बनाला मुस्लैय्या जिन्होंने आंध्र प्रदेश के सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता के रूप में कार्य किया था और सेवा के दौरान बहुत पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सेवा रिकॉर्डों में उनका नाम अनुस्चित जाति अथवा अनुस्चित जनजाति में कही दर्ज नहीं था।

जांच के दौरान उन्होंने माताजी और उनके दो भाईयों की जाति के बारे में जानने के लिए तहसीलदार गुंटुर अर्बन को मांग-पत्र दिया। तहसीलदार ने सूचित किया कि ये सभी व्यक्ति वडेरा समुदाय के थे।

उन्होंने दिवंगत श्री रोहित वेमुला और उनके पिताजी की जाति के बारे में जानने और यह सूचना देने के लिए तहसीलदार गुरजाला को मांग-पत्र दिया कि क्या दिवंगत के परिवार के सदस्यों ने अपने कार्यालय रिकॉर्डों में उनकी जाति दर्शाने वाली कोई घोषणा/आवेदन दर्ज किया है। तहसीलदार ने सूचित किया है कि दिवंगत और उसके पिताजी वडेरा समुदाय के थे।

उन्होंने गंट्र शहर के तहसीलदार को आवेदन भी दिया जिसमें पूरा रिकॉर्ड जिसके आधार पर श्री रोहित वेमुला को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें उसे अनुसूचित जाति का दिखाया गया था भी मांगा। यह प्रार्थना पत्र फरवरी, 2016 को दिया गया था लेकिन आज तक तहसीलदार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मृतक के संबंध में तहसीलदार गंटूर अरबन और गुरजाला द्वारा जारी कॉलेज रिकॉर्ड और रिपोर्टों में विसंगति थी। कॉलेज रिकॉर्ड में मृतक को अनुसूचित जाति का दिखाया गया है जबिक तहसीलदार ने रिपोर्ट दी है कि वह वडेरा समुदाय से संबंधित था। इस विसंगती के लिए जिला कलेक्टर गंटूर को पत्र लिखा गया है लेकिन अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत श्रीमती वी.राधिका, मृतक की माता की उनके माता-पिता के बारे में जानने के लिए पूछताछ भी की लेकिन वह उनका नाम न बता सकी।

- 4. श्री कर्णेश्रीसेलम सुपुत्र श्री बेलैया ने शपत्र पत्र दिनांक 29.03.2016 की विषय-वस्तु की गवाही दी। उसने यह भी बताया कि श्री रोहित वेमुला की मृत्यु के पश्चात् उसके एससी रिर्जेवेशन परीक्षण समिति के नेशनल प्रेसीडेंट होने के नाते उसने श्री रोहित वेमुला के पिता से प्छताछ भी की और प्छताछ के पश्चात् उसे पता चला कि श्री रोहित वेमुला अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं था। वह वडेरा समुदाय से संबंधित था जो ओबीसी के अधीन आता है। अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उसने किसी प्रकार से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया था और वह अपने लाभ के लिए उसका दुरूपयोग कर रहा था।
- 5. श्री तुर्का नरसिम्हा पुत्र श्री टी. तामुली ने भी अपने 29.03.2016 के शपथ पत्र की गवाही दी और कहा कि रोहित वेमुला के पिता उसके पास आये थे और जोर देकर कहा था कि उसके (साक्षी) के वडेरा समुदाय के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उसे इस मामले को उठाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें वडेरा समुदाय का होने के कारण तंग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि अनुसूचित जाति के लिए वडेरा का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए।
- 6. जांच के दौरान, श्री नंदनम सुशील कुमार अपने एडवोकट सिहत हाज़िर हुए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में एन.सुशील कुमार बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य के मध्य 2016 की रिट याचिका सं. 2816 में प्रतिवादी सं. 4 के रूप में श्री जे.रमेश कुमार, पुलिस स्टेशन, गांची बाउली, साइवराबाद के निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाबी हलफनामें सिहत अपना हलफनामा दाखिल किया।

किसी भी राजस्व अधिकारी के बयान दर्ज नहीं किए जा सके, क्योंकि आयोग के समक्ष कोई हाजिर नहीं हुआ। बाद में, उनके बयान यूजीसी कार्यालय, नई दिल्ली में 04.07.2016 को दर्ज किए गए थे। इस तारीख को श्रीमती बी.राजिनी कुमारी, तहसीलदार, गंटूर और श्री जी.बी.एस. फणीन्द्र बाबू के बयान दर्ज किए गए थे।

श्रीमती बी. राजिनी कुमारी ने बताया कि रोहित वेमुला. पुत्र श्री वी.मणिकुमार को पहला अनुसूचित-जाति प्रमाण-पत्र 19.05.2004 को जारी किया गया था। यह एक अस्थायी प्रमाण-पत्र था और पी.ए.गुप्ता, मंडल राजस्व अधिकारी, गंटूर द्वारा जारी किया गया था। ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। इस संबंध में अगला प्रमाण-पत्र 29.01.2005 को जारी किया गया था और यह एक स्थायी जाति प्रमाण-पत्र था। इस प्रमाण-पत्र के संबंध में भी, संबंधित प्राधिकरण के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2005 के पश्चात् श्री रोहित वेम्ला का श्री टी.मोहन राव, तहसीलदार, गंटूर द्वारा 29.06.2014 को जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और वह रिकार्ड, जिसके आधार पर यह प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, भी तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2014 के पश्चात् श्री के.शिवनारायण मूर्ति, तहसीलदार, गंटूर द्वारा अगला प्रमाण-पत्र 16.06.2015 को जारी किया गया था और वह रिकार्ड भी, जिसके आधार पर यह प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, तहसीलदार, गंटूर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि ये प्रमाण-पत्र जांच के आधार पर जारी किए गए थे, परन्तु जांच में कोई गलती (भूल) हो सकती है। उन्होंने पुन: यह बताया कि रोहित वेमुला की माता का नाम श्रीमती वी.राधिका है और उनको, उसका शैक्षिक रिकार्ड देखने का अवसर प्राप्त ह्आ था। ये रिकार्ड, श्री जलगांव रामाराव मेमोरियल म्यूनिसिपल कार्पोरेशन हाई स्कूल, कोठापेट, गंटूर से संबंधित हैं और VI से X तक कक्षाओं के संबंध में हैं। इस रजिस्टर में, बी.राधिकाको "वडेरा" के रूप में दर्ज किया गया है। उसको "माला' के रूप में नहीं दिखाया गया है।

श्री जी.वी.एस.फणीन्द्र बाबू,तत्कालीन तहसीलदार, गुरजाला ने बताया कि श्री वेमुला वेंकटेश्वरलू पुत्र मल्लैया, निवासी - गुरजाला, श्री वेमुला के दादा, राजा चैतन्य कुमार (मृतक का भाई), ने वेमुला राजा चैतन्य कुमार पुत्र श्री वेमुला मणिकुमार के जन्म प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अर्जी दी थी। इस अर्जी में कोई तारीख नहीं दी गई थी। अर्जी के समर्थन में एक हलफनामा दिया गया था। मंडल राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच की गई थी और उन्होंने वेमुला मणिकुमार, श्रीमती वी.राधिका, शैक केशा बाली और च. श्रीनिवास राव के बयान दर्ज किए थे। बी.मणिकुमार और श्रीमती बी.राधिका, दोनों ने अपनी जाति का खुलासा "वडेरा" के रूप में किया था। श्रीमती वेमुला मणिकुमार अर्थात् वी.राधिका का स्कूल रिकार्ड प्रदर्शित करता है कि वह "वडेरा" के रूप में दर्ज है।

मैंने, अपने समक्ष उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का अध्ययन किया है और स्टेकहोल्डरों से प्रत्यक्ष रूप में बात करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। मुझको संदर्भित विचारार्थ प्रत्येक विषय पर अब मैं संबंधित कार्रवाई करूंगा।

संदर्भ सं. 1 : "हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध विद्वान श्री चक्रवर्ती आर.वेमुला की मृत्यु के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना और गलतियां, यदि कोई हैं, तो, उनके लिए जिम्मेदारी निश्चित करना।"

संयुक्त कार्रवाई सिमिति (जेएसी) और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा इस बात पर प्रभावशाली तरीके से बल प्रदान किया गया है कि रोहित वेमुला को, केवल अनुसूचित जाति का होने के कारण दंडित किया गया।

यह भी कहा गया कि राजनीतिक नेताओं अर्थात श्री रामचन्द्र राव (स्थानीय बीजेपी नेता), श्री बंडारू दत्तात्रेय (श्रम और रोजगार मंत्री) और श्रीमती स्मृति इरानी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के दबाव में उसे दंडित किया गया। जेएसी और अन्यों के उपर्युक्त स्थिति के विरूद्ध, यह भी कहा गया कि श्री रोहित वेमुला अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं था और उसे दंड देने में किसी व्यक्ति, राजनैतिक या गैर राजनैतिक व्यक्ति से कोई दबाव नहीं था।

उपर्युक्त विरोधी तर्कों के दृष्टिगत मैं यह प्रश्न करना उचित समझता हूं कि क्या रोहित वेमुला अनुसूचित जाति का था या नहीं ?

संपूर्ण रिकॉर्ड को देखने पर यह जात होता है कि रोहित वेमुला के पिता का नाम वी. मणि कुमार है और उसकी माता का नाम वी. राधिका है। रिकॉर्ड यह भी दर्शाता है कि मणि कुमार की जाति के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। वह जाति से 'वडेरा' (अन्य पिछड़ा वर्ग) है और असत्य रिकार्ड में इस तथ्य को साबित करने के लिए कुछ नहीं है।

सामान्य रूप से एक बच्चा अपने माता-पिता की जाति ग्रहण करता है और उस मामले के दृष्टिगत रोहित एक अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति माना जाएगा।

तथापि, यह कहा गया कि चूंकि उसकी माता वी. राधिका "माला समुदाय" से संबंधित है जो अनुसूचित जाति के तहत आता है और अपनी माता के तलाक के बाद रोहित अपनी मां के सानिध्य में बड़ा हुआ इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति का व्यक्ति माना जाएगा।

इसलिए, यह प्रश्न उठता है कि क्या वी. राधिका "माला समुदाय" से संबंधित है? इस संबंध में, श्री एम. रमण कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, माधापुर, हैदराबाद ने एफआईआर सं.2016 की 20, थाना गाची बाउली, साइवराबाद के संबंध में वी. राधिका का बयान दर्ज किया जो एक उपयुक्त सामग्री है। अपने बयान में वी. राधिका ने कहा है कि वह गुंटूर कस्बे के प्रकाश नगर इलाके की निवासी थी। उनके तीन बच्चे हैं, निलिमा, 29 वर्ष, रोहित चक्रवर्ती, 27 वर्ष, और राजा चैतन्य कुमार, 25 वर्ष। वह अपने पति की प्रताइना को सहन नहीं कर पाई तो, उसने वर्ष 1990 में अपने को अलग कर लिया और वर्ष 2006 में गुंटूर कोर्ट से तलाक की डिक्री ले ली। उसके अलग होने के समय से ही, वह दर्जी का काम करके जी रह रही है और अपने बच्चों को पाल रही है। 1990 से वह प्रकाश नगर के मालापाली में अलरू जॉन के मकान में रही थी। वह वहां 1990 से 1993 तक रही। इसके बाद वह पड़ोस के दूसरे घर में चली गई और वहां लगभग 4 वर्ष रही। वहां से, वह लगभग डेढ़ साल के लिए उप्पालाति इदानम्मा के घर रही और तत्पश्चात लगभग 7 वर्षों के लिए प्रकाश नगर में वेम्ला वेंकटेश्वरल् के घर रही। अक्तूबर 2015 में, वह बीमार रही और 27 दिसंबर 2015 को उप्पल, एसबीएच कॉलोनी में अपने छोटे बेटे के घर चली गई और तब से वह वहां रह रही है। उसने यह भी कहा कि वह यह नहीं जानती कि उसे किसने जन्म दिया। वह बनाला अंजनी देवी और मुसालैया के घर में बड़ी हुई और वहां लाई गई। उनके 4 बच्चे है। वह अपने बच्चों के साथ लाई गई। वह उनके घर में काम करते हुए बड़ी हुई। उस घर में, अंजनी देवी के अतिरिक्त, उनकी माता और नानी रहती थी। उनके दवारा उसे पता चला कि वह माला थी। उसे बताया गया था कि उसके माता-पिता जो काम के लिए आए थे उसका पालन-पोषण नहीं कर सके और अंजनी देवी को देकर चले गए। बयान की तारीख तक जो 3.6.2016 को लिया गया उसके माता-पिता ने न तो उसे देखा और न ही उससे मिले। उसने आगे यह भी कहा कि उसे अंजनी देवी के घर में ऐसे ही भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने अपने पति वी. मणि कुमार के घर में काफी सहा। उसने उप्पालापति दानाम्मा तत्कालीन कॉरपोरेटर के माध्यम से 'माला' जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उपर्युक्त के दृष्टिगत यह प्रतीत होता है कि वी.राधिका अपने जैविक माता-पिता के नाम नहीं जानती है। उसे उनके दवारा अंजनी देवी को दिया गया था जिन्होंने उसकी जाति बताई लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उसे अपने जैविक माता-पिता के नाम बताए गए थे। जब अंजनी देवी और अन्य ने उसके जैविक माता-पिता के नाम बताने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की तो उन्हें उसकी जाति बताने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए वी. राधिका का यह बयान धूर्ततापूर्ण और अविश्वनीय है कि अंजनी देवी और अन्य ने उसे यह बताया कि वह 'माला

समुदाय' की है। मुझे यह प्रतीत होता है कि वी. राधिका की जाति 'माला' से संबंधित उसका बयान उसके बेटे रोहित वेमुला के पक्ष में जारी जाति प्रमाणपत्र के समर्थन में था। यहां यह उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने माला के रूप में अपने को स्थापित किया क्योंकि वह उप्पालापित दानम्मा व्यक्ति से जाति प्रमाणपत्र लेने में सफल हुई जिसके घर वह डेढ़ साल से रह रही थी। ऐसा कुछ भी रिकार्ड में नहीं है कि जो यह दर्शाए कि उप्पालापित दानम्मा को यह पता था कि वह माला थी। जबकि उसे उसके पूर्व जीवन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसे न ही उसके माता-पिता और न उसके जन्म स्थान के बारे में पता था इसलिए उसे कॉरपोरेटर के रूप में वी. राधिका माला जाति प्रमाणपत्र जारी करने का कोई प्रमाण नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि इस जाति प्रमाणपत्र की कोई कीमत नहीं है और अनुसूचित जाति का लाभ लेने के लिए उसने कैसे भी उप्पालापित दानम्मा कॉरपोरेटर से माला जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिसके घर वह डेढ़ साल से रही थी।

इसके अतिरिक्त, यह कि उसने माला समुदाय से होने का दावा किया लेकिन उसने अपने स्कूल रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया जहां उसने कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाई की। इस रिकार्ड में उसके माता-पिता/अभिभावक का नाम मुसलैया है और उसकी जाति 'वडेरा' दर्शायी गई है। इस स्थिति में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मुसलैया ने वी. राधिका को गोद लिया और उसने माता-पिता के रूप में अपना नाम दिया। इसलिए सभी उद्देश्य के लिए उसने मुसलैया जाति को अपनाया और इस दृष्टिकोण से भी उसे 'माला' नहीं कहा जा सकता।

उसकी अनुस्चित जाति के दर्जे के विरूद्ध एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य तब दिया गया बयान है जब वह अपने छोटे बेटे चैतन्य कुमार के प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में गवाह थी। यह बयान 2.7.2014 को मंडल राजस्व निरीक्षक गुरजाला द्वारा रिकार्ड किया गया जिसमें उसने अपनी जाति 'वडेरा' बताई। उसने उस तारीख को अपनी आयु 44 वर्ष बताई जिसका यह अर्थ हुआ कि वह इन चीजों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम थी। यदि वह माला जाति की होती तो निश्चय ही उसने अपने बयान में यह बताया होता कि वह माला समुदाय की है लेकिन उसने अपने को 'वडेरा' बताया।

श्रीमती बी. रजनी देवी, तहसीलदार, गुंटूर का बयान यह दर्शाता है कि रोहित वेमुला को जाति प्रमाणपत्र जारी करने के आधार से संबंधित तहसीलदार के कार्यालय में कोई रिकार्ड नहीं है। यह दर्शाता है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बिना किसी उचित पूछताछ से जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

इसलिए, रिकार्ड में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री से प्रतीत होता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह माला समुदाय की है जिसके आधार पर बाद में उसने पहली बार कॉरपोरेटर उप्पालापित दानम्मा से माला जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया। चूंकि उसने "माला समुदाय" से संबंधित होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया इसलिए उसे अनुसूचित जाति समुदाय में शामिल नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह दर्शाते हैं कि वह वडेरा समुदाय की थी और इसलिए रोहित वेमुला को जारी किया गया अनुसूचित प्रमाणपत्र उचित नहीं कहा जा सकता और वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं था।

तथापि, रोहित वेमुला अनुसूचित जाति का व्यक्ति साबित नहीं हो सका लेकिन उसने हमेशा अपनी माता द्वारा किसी भी तरह प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार पर ऐसा ही दावा किया।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या अनुसूचित जाति वर्ग के उसके दावे पर विश्वविद्यालय/प्राधिकारियों द्वारा उसे कभी प्रताड़ित किया गया या उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया?

मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया जिससे यह दर्शाया जा सके कि विश्वविद्यालय में रहने के दौरान विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा उसके साथ सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से अलग बर्ताव किया गया।

रिकार्ड देखने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि दिनांक 3/4 अगस्त, 2015 के संबंध में, श्री कृष्णा चैतन्य, महासचिव, एबीवीपी, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा 4 अगस्त, 2015 को हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपित को एक शिकायत की गई थी। उसी दिन अम्बेडकर विद्यार्थी संघ (एएसए) से संबंधित विद्यार्थियों ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए विंसेंट, प्रशांत और अशोक की तुरंत रिहाई के लिए कुलपित, हैदराबाद विश्वविद्यालय को एक पत्र भी दिया। इस मामले में प्रोक्टरल बोर्ड ने एक जांच की और दिनांक 10.08.2008 को इसकी बैठक में प्रो. आलोक पांडेय, चीफ प्रोक्टर, प्रो. जी. लिलता गुरूप्रसाद, प्रोक्टर, प्रो. पी.के. सुरेश, प्रोक्टर, डॉ. अतहर हबीब सिद्दीकी, प्रोक्टर और चेतन श्रीवास्तव, प्रोक्टर ने भी भाग लिया। अनेक व्यक्तियों के बयान लेने के बाद और अम्बेडकर विद्यार्थी संघ के पत्र पर विचार करने पर प्रोक्टरल बोर्ड ने 12 अगस्त, 2015 को अंतरित रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्नलिखित दंड प्रस्तावित किए:

- 1. फेसबुक पर ऐसी टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए श्री सुशील कुमार को कड़ी चेतावनी जारी की जाए।
- 2. श्री डी.प्रशांत, श्री विंसेंट, श्री रोहित वेमुला, श्री पी.वी. विजय, श्री सुकन्ना, श्री सेशु चेमुडुगुंटा को उचित प्राधिकारियों को शिकायत करने के बजाय मध्य रात्रि में सुशील कुमार के कमरे और छात्रावास में जाने और उन्हें माफी मांगने के लिए कहने और फेसबुक से उनकी टिप्पणियां हटाने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की जाएं।

अब तक श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2015 को श्रीमती स्मृति इरानी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा गया पत्र अस्तित्व में नहीं था। इसलिए, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक प्रोक्टरल बोर्ड पर कोई दबाव नहीं डाला गया। इसके अतिरिक्त, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि 9 व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दबाव में ली गई। कैसे 9 व्यक्ति किसी भी, राजनीतिक या गैर-राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं जबिक उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सीधे नियंत्रण में नहीं था। इस अंतिम रिपोर्ट के बाद 26 अगस्त, 2015 को प्रोक्टरल बोर्ड द्वारा मामले की आगे जांच की गई जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे:

- 1. प्रो. आलोक पांडेय, चीफ प्रोक्टर
- 2. प्रो. जी. लितथा गुरूप्रसाद, प्रोक्टर
- 3. डॉ. अतहर हबीब सिद्दीकी, प्रोक्टर
- 4. डॉ. चेतन श्रीवास्तव, प्रोक्टर
- 5. श्री जी.आर. अनिल, उपाध्यक्ष, विद्यार्थी संघ, हैदराबाद विश्वविद्यालय

श्री जी.आर. अनिल, उपाध्यक्ष, विद्यार्थी संघ, हैदराबाद विश्वविद्यालय की उपस्थिति यह दर्शाती है कि विद्यार्थियों के विरूद्ध कोई भी पूर्वाग्रह नहीं था जब विद्यार्थी संघ के उपाध्यक्ष ने स्वयं जांच में भाग लिया था। 31 अगस्त, 2015 को अनेक व्यक्तियों के बयान लेने के बाद इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और प्रोक्टरल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

 श्री सुशील कुमार को गालियां देने और उन पर प्रहार करने के लिए सुशील के कमरे तक 30 लोगों के समूह की अगुवाई करने के कारण श्री दोंथा प्रहान्त, श्री रोहित वेमुला, श्री पी. विजय और शेषु चेमुदुगुंटा के लिए तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय-कक्षाओं या पाठ्यक्रमों, छात्रावासों तथा अन्य उन संबंधित चीज़ों, जो एक छात्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करता है, से पूर्ण निलम्बन।

- 2. श्री वेलपुला सुनकन्ना के बारे में, जिनकी इस घटना में न केवल हमले में मदद करने बिल्क, माफ़ीनामा लिखवाने में भी बेहद सिक्रय भूमिका थी, जो विश्वविद्यालय का वास्तविक छात्र नहीं है, इसिलए वह बोर्ड के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसिलए बोर्ड कुलपित से उसके विरूद्ध उपयुक्त और सख्त कार्रवाई करने का सुझाव देता है। चूंकि, यह मामला सुरक्षा का है इसिलए उसे घुसपैठिया माना जाय क्योंकि, परिसर में उसकी मौजूदगी खतरनाक है।
- 3. बोर्ड कुलपित को सभी छात्रों, राजनीतिक समूहों को किसी तरह की अनुशासनहीनता में लिप्त न होने के लिए ठोस चेतावनी जारी करने का भी सुझाव देता है।

शायद यह प्रकट नहीं होता कि पांच लोग, जिन्होंने प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक में भाग लिया वे किसी भी राजनीतिक या गैर-राजनीतिक लोगों से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, खासकर तब जब छात्र का प्रतिनिधि भी वहां था।

छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा अपने दिनांक 31.08.2015 के निर्णय में दिए गए दंड से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के कई वर्गों के साथ चर्चा करना ठीक समझा। छात्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यकारी परिषद ने 10.09.2015 को तत्कालीन कुलपति प्रो. आर.पी. शर्मा की अध्यक्षता में अपनी बैठक आयोजित की और छात्रों का निलंबन तत्काल प्रभाव अर्थात 10.09.2015 से बहाल करने का निर्णय लिया गया तथा मामले की नए सिरे से जांच के लिए एक समिति गठित की गई। छात्रों को बताया गया था कि नई गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय का उनके द्वारा पालन होना चाहिए। समिति ने इस आधार पर काम करने से मना कर दिया कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड सांविधिक निकाय होने के नाते इसकी रिपोर्ट और सिफारिशों पर उपर्युक्त समिति द्वारा सवाल नहीं किए जा सकते। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए कार्यकारी परिषद की एक उप-समिति ने व्यापक परिप्रेक्ष्य में मामले पर विचार किया और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के दिनांक 31.08;2015 के निष्कर्षों और सिफारिशों से सहमत हुई। उप-समिति के अध्यक्ष भौतिकशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. विपिन श्रीवास्तव, तीन अन्य प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर थे। रिकार्ड में दर्शाने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं

है कि यह उप-समिति किसी राजनीतिक या गैर-राजनीतिक लोगों या कुलपित द्वारा प्रभावित की गई है। मेरी राय में, वे सदस्य जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के निष्कर्षों से सहमत थे, वे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुए और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उप-समिति का निर्णय किसी से प्रभावित था। उप-समिति की सिफारिशें कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी 27.11.2015 की बैठक में कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई थीं। संशोधन ये थे कि छात्रों को विश्वविद्यालय में अपने पाठ्यक्रम/कार्यक्रम पूरा न करने तक छात्रावासों में न ठहरने दिया जाय और उन्हें अपनी स्कूलों/विभागों/केन्द्रों/पुस्तकालय और अपने विषय के अकादिमिक सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में ही दिखाई देने की अनुमित दी जाए। उन्हें छात्रसंघ के चुनावों, छात्रावास, प्रशासनिक भवन तथा अन्य आम जगहों पर समूहों में प्रवेश करने से रोका गया था।

मेरी राय में कार्यकारी परिषद द्वारा किया गया विचार उस समय की परिस्थितियों में अत्यधिक तार्किक था। कार्यकारी परिषद ने मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि छात्रों को अपने अकादिमिक कॅरियर पर एकाग्रता रखनी चाहिए न कि अन्य बातों पर। कार्यकारी परिषद द्वारा दिखाई गई सौम्यता अपने-आप में यह दर्शाती है कि विश्वविद्यालय किसी प्रभाव या दबाव में काम नहीं कर रहा था अन्यथा वह सौम्यता या प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गए दंड को कम करने का कोई अवसर नहीं था।

इस प्रकार मेरा यह विचार है कि संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) का तर्क या संयुक्त कार्रवाई समिति के अर्थों में किसी का यह कहना स्वीकार करने योग्य नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजनीतिक नेताओं यानि श्री रामचन्द्र राव, स्थानीय विधायक, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रम एवं रोजगार मंत्री और श्रीमती स्मृति इरानी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभाव में अलग-अलग तारीखों में निर्णय लिया।

जहां तक इस दलील का संबंध है कि श्री रामचन्द्र राव 3/4 अगस्त, 2015 की घटना के संबंध में कुलपित से मिले या यह भी कि बंडारू दत्तात्रेय, श्रम एवं रोजगार मंत्री ने श्रीमती स्मृति इरानी को दिनांक 17.08.2015 को पत्र लिखा या बदले में एचआरडी मिनिस्टर ने विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मंगवाई तो उस संबंध में यह उल्लेख करना समीचीन है कि सभी लोग लोक सेवकों की तरह वे अपनी इ्यूटी कर रहे थे। जन-प्रतिनिधि होने के नाते श्री रामचन्द्र राव, एमएलए ने मामला विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समक्ष उठाया, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रम एवं रोजगार मंत्री ने सिकन्दराबाद चुनाव क्षेत्र के सांसद के रूप में श्रीमती

इरानी, एचआरडी मिनिस्टर को पत्र लिखा और एचआरडी मिनिस्टर द्वारा लिखा गया पत्र विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के साथ श्री बंडारू दत्तात्रेय के पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए था। मैं महसूस करता हूं कि उनमें से किसी ने भी किसी तरह से विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों पर प्रभाव नहीं डाला और वे जनता के प्रतिनिधियों के रूप में मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर मेरा विचार है कि 3/4 अगस्त, 2015 की घटना के संबंध में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने बिना किसी व्यक्ति, राजनीतिक या गैर-राजनीतिक प्रभाव के मामले की स्वतंत्र पड़ताल की और रोहित वेमुला या अन्य छात्र के प्रति जांच करने में कोई भेदभाव नहीं किया।

अब सवाल उठता है कि क्या रोहित वेमुला को दिया गया दंड आत्महत्या करने की परिस्थिति थी?

रिकार्ड से यह प्रतीत होता है कि इस दंड को आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद में चुनौती दी गई थी और जब आत्महत्या की गई थी तब उस तारीख में मामला लंबित था। इसलिए, मेरी दृष्टि में दंड आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता। जब छात्रों ने दंड के आदेश को चुनौती दी थी तब इस कारण से आत्महत्या करने की कोई वजह नहीं हो सकती।

इस आशय से मेरा यह भी विचार है कि आत्महत्या का संबंध विश्वविद्यालय-प्रशासन या कुलपित प्रो. अप्पा राव पोडिले सिहत उपर्युक्त राजनेताओं के किन्हीं क्रियाकलापों से था। यह पूरी तरह से उसका अपना फ़ैसला था। उसका आत्महत्या का नोट रिकार्ड में है जो यह दर्शाता है कि रोहित वेमुला की अपनी समस्या थी और वह दुनियावी मामलों से खुश नहीं था। वह उन कारणों से कुंठित था जिन्हें वह बेहतर जानता था। उसने लिखा कि प्यार, दर्द, जिन्दगी और मौत समझने का कोई आग्रह नहीं है लेकिन वह उनके पीछे भाग रहा था। यह संकेत करता है कि वह अपने आस-पास चल रही गतिविधियों से खुश नहीं था। उसने यह भी लिखा कि वह बचपन से ही अकेला और एक उपेक्षित इंसान था। यह भी उसकी कुंठा दर्शाता है। उसने अपनी आत्महत्या के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया। अगर वह विश्वविद्यालय के निर्णय से भड़का होता तो निश्चित रूप से या तो वह विशेष शब्दों में लिखता या इस संबंध में इशारा करता। लेकिन, उसने ऐसा नहीं किया। यह दर्शाता है कि उस समय इससे जुड़ी परिस्थितियां आत्महत्या करने का कारण नहीं थीं। उसके द्वारा लिखे गए पत्र की

सम्ची इबारत दर्शाती है कि वह दुनिया में ठीक महसूस नहीं कर रहा था और कुंठा में उसने अपना जीवन समाप्त किया।

यहां मैं दलित समस्या के समाधान के संबंध में हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपित को लिखे रोहित वेमुला के दिनांक 18.12.2015 के पत्र का हवाला देना चाहूंगा। इस पत्र में उसने छात्रावासों से निष्कासन के संबंध में अपना गुस्सा दिखाया था। लेकिन, मैं महसूस करता हूं कि आत्महत्या के नोट के मद्देनज़र इस पत्र में दिखाया गया गुस्सा आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता। यह इस तथ्य के कारण है कि आत्महत्या करीब एक महीने बाद की गई थी और अब तक छात्रावासों से निष्कासन को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई थी। उसने अपने आत्महत्या के नोट में कुछ भी जिक्र नहीं किया जिसका उल्लेख उपर्युक्त उल्लिखित नोट में किया गया था। यह दर्शाता है कि अगर कोई गुस्सा था तो वह आत्महत्या की तारीख तक नहीं रहा वर्ना, पत्र में दर्शाये गुस्से का संकेत आत्महत्या के नोट में होता।

जिस दृष्टि से मैंने ऊपर कहा, मेरा विचार यह है कि किसी तथ्य या रिकार्ड में उपलब्ध उस स्थिति का कोई साक्ष्य नहीं है, जिसने उसे आत्महत्या की दिशा में धकेला और उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तदनुसार, उपर्युक्त विचारार्थ विषय का उत्तर दिया गया।

संदर्भ संख्या 2 : विश्वविद्यालयों में छात्रों के मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और सुधारों का सुझाव देना।

जांच के दौरान मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि विश्वविद्यालय में छात्रों, सामान्य व आरक्षित वर्ग दोनों, की शिकायतों के निवारण का कोई उपयुक्त तंत्र नहीं है। यह भी कहा गया था कि विश्वविद्यालय-प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले दंड पर अपील का उचित तंत्र उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय में काउन्सिलेंग की कोई सुविधा नहीं है और छात्र सही मार्गदर्शन के बिना छोड़ दिए जाते है। यह भी कहा गया है कि ऐसी घटनाएं पूर्व में भी घटित हुई थीं। उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने और विश्वविद्यालय में छात्रों के लाभ के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने, तािक, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, इसिलए विभिन्न समूहों को अनेक सुझाव दिए गए थे। इसका अध्ययन करने के बाद, मैं विश्वविद्यालय में वातावरण सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाता हूँ:

1. विश्वविद्यालय को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जहां छात्र विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली किसी ज्यादती की स्थिति में छात्र अपील कर सकें।

- 2. पेशेवराना काउन्सलरों वाले काउन्सलिंग केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए, जो शिक्षणेत्तर स्टाफ सहित छात्रों, शोध-छात्रों और संकाय को सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
- 3. निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए जिसकी अध्यक्षता पर्यवेक्षक द्वारा की जाए जो छात्रों द्वारा अध्ययन किए जा रहे विषयों से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन दे सकें।
- 4. यूजीसी (उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में साम्यता का संवर्धन) विनियम, 2012 के अनुसार भेदभावरोधी अधिकारी की अध्यक्षता में समान अवसर प्रकोष्ठ को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।
- 5. यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 के अनुसार, लोकपाल की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति प्रभावी बनाई जानी चाहिए।
- 6. माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पीआईएल सं. 106/2013 पर पारित आदेश के सभी निदेश कार्यान्वित होने चाहिए।

न्यायमूर्ति (से.नि.) अशोक कुमार रूपनवाल जांच अधिकारी भारत सरकार द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र

श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की मृत्यु से संबंधित

घटनाओं की जांच करने के लिए गठित

न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) वाले जांच आयोग

की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का जापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की आत्महत्या पर घटनाओं की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) जांच आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन

- 1. भारत सरकार ने अधिसूचना सं.एस.ओ.325(ई) दिनांक 02.02.2016 के तहत हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र श्री वेमुला की मृत्यु के संबंध में घटी घटनाओं की की जांच करने के लिए श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) जांच आयोग का गठन किया था। इस जांच आयोग का गठन निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ किया गया था:
 - ं) उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जिनके कारण श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला, शोध छात्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय की मृत्यु हुई और चूकों, यदि कोई हों तो उनके लिए जिम्मेदारी नियत करना;
 - ii) विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।

इस आयोग को जांच करने और अपनी रिपोर्ट तथा अपनी सिफारिशें सरकार को इसकी नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर अर्थात् 1 मई, 2016 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, न्यायमूर्ति रूपनवाल (सेवानिवृत्त) ने अपने पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2016 द्वारा इस मंत्रालय को सूचित किया कि बड़ी संख्या में स्टेकहोल्डरों द्वारा आयोग के सामने अपनी बात रखने और भारी संख्या में प्राप्त प्रतिवेदनों को देखते हुए, आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट को 1 मई, 2016 तक अंतिम रूप देना संभव नहीं है और आयोग के कार्यकाल को और तीन महीने अर्थात् 1 अगस्त, 2016 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर विचार करके इसे स्वीकार किया गया और आयोग के कार्यकाल को तीन महीने के लिए अर्थात् दिनांक 02.05.2016 से 01.08.2016 तक बढ़ा दिया गया। इस कार्यकाल के विस्तार को भारत के राजपत्र असाधारण में एस.ओ. 1756 (ई) दिनांक 13.05.2016 के तहत अधिसूचित किया गया था।

- 2. अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच आयोग ने अपने दिनांक 01 अगस्त, 2016 के पत्र द्वारा मंत्रालय को उन दो विचारार्थ विषयों के संबंध में अपने निष्कर्ष/सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।
- 3. जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) में यह प्रावधान है: "समुचित सरकार जांच आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ की गई कार्रवाई का जापन, उपधारा (1) के अंतर्गत आयोग द्वारा समुचित सरकार को प्रस्तुत की गई

रिपोर्ट को छ: महीने की अवधि के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अथवा राज्य के विधानमंडल में जैसा भी मामला हो ऐसी रिपोर्ट पेश करेगी"।

4. तदनुसार, न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) जांच आयोग की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचार किया गया है और जांच आयोग की सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाईयां नीचे दी गई हैं:

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

क्र.सं.	न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) जांच आयोग की सिफारिश	सिफारिश पर की गई कार्रवाई
	प्रथम विचारार्थ विषय: उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जिनके कारण श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला, शोध छात्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय की मृत्यु हुई और चूकों, यिद कोई हों तो उनके लिए जिम्मेदारी नियत करना; आयोग के निष्कर्ष: आयोग ने यह पाया है कि श्री वेमुला की आत्महत्या के लिए दंड उसका कारण नहीं हो सकता जबिक उसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और यह आत्महत्या वाले दिन वहां लंबित था। इसके अतिरिक्त, यह आत्महत्या कुलपित, प्रो. अप्पा राव पोडिल अथवा राजनीतिक नेताओं सिहत विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी कार्यकलाप से संबंधित नहीं थी।	कि रिकॉर्ड पर किसी ऐसे तथ्य या परिस्थिति का साक्ष्य उपलब्ध नहीं
3 3 7	यह पूर्णतया उसका स्वयं का एक निर्णय था। आयोग की सिफारिश: उपर्युक्त तथा अन्य टिप्पणियों के आधार पर आयोग का यह मत है कि रिकॉर्ड पर किसी ऐसे उसमें था परिस्थिति का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जैसने श्री वेमुला को आत्महत्या करने के लिए जिब्रूर किया हो और उसकी मृत्यु के लिए कोई	

भी जिम्मेदार नहीं है।

2. दूसरा विचारार्थ विषय:

विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।

आयोग की सिफारिश:

विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद आयोग ने विश्वविद्यालय के वातावरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है:

- (i) विश्वविद्यालय को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जहां विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी ज्यादती के मामले में छात्र अपील कर सकें।
- (ii) व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित काउंसलर्स सिहत परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जो छात्रों, शोध छात्रों तथा गैर-शिक्षण स्टाफ सिहत संकाय को सेवाएं प्रदान करेंगे।
- (iii) निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिनका नेतृत्व उन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाए जो छात्रों द्वारा अध्ययन किए जा रहे विषयों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- (iv) यूजीसी (उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में साम्यता का संवर्धन) विनियम, 2012 के अनुसार भेदभाव-रोधी अधिकारी के नेतृत्व में एक समान अवसर प्रकोष्ठ को

सहमत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समुचित अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।

- (v) यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 के अनुसार लोकपाल की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- (vi) जनहित याचिका सं.106/2013 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में दिए गए सभी निर्देशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

दूसरे विचारार्थ विषय पर जांच आयोग की सिफारिशों को और प्रभावी बनाने के लिए यूजीसी को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है:

- (i) अच्छे अनुकूलन के लिए सुदृढ़ प्रवेश कार्यक्रम।
- (ii) बाहरी छात्रों के लिए स्थानीय अभिभावक प्रणाली (जहां तक संभव हो) की व्यवस्था करना।
- (iii) साप्ताहिक आधार पर शिकायतों पर चर्चा करना और उनका निवारण करना तथा कुलपति द्वारा मासिक आधार पर बैठकें आयोजित करना।
- (iv) शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारी शिक्षा प्रदान करना।
- (v) डीन, विभाग की समस्याओं को निकट से मॉनीटर करेंगे। कोई भी गंभीर मामला तत्काल कुलपति की नोटिस में लाया जाएगा।
- (vi) विश्वविद्यालय को मेंटरों के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त छात्र स्वयं सेवकों का चयन करना जो नए छात्रों की सहायता करेंगे।
- (vii) छात्रावासों में प्रभावी प्रशासन और पर्यवेक्षण तथा होस्टल प्रवेश नियमावली एवं विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करना ताकि केवल वर्तमान छात्रों को ही होस्टलों में ठहरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा होस्टल आवास आबंटित किया जा सके।

तत्काल

फा.स. 7-5/2016 डेस्क-यू भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग (केन्द्रीय विश्वविद्यालय ब्यूरो)

सेवा में,

दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

विषयः हैदराबाद विश्वविद्यालय की घटनाओं की जांच करने हेतु गठित जांच आयोग की सिफारिशें-उनको लागू करने के संबंध में।

महोदय,

जैसािक आपको ज्ञात है, भारत सरकार ने अधिसूचना सं.एस.ओ.325(ई) दिनांक 02.02.2016 के तहत हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की मृत्यु के संबंध में घटी घटनाओं की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) वाले एक जांच आयोग का गठन किया था। इस जांच आयोग के विचारार्थ विषयों में विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और सुधार हेतु सुझाव देना था।

- 2. इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसके द्वारा की गई निम्नितिखित सिफारिशों को सरकार द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय सिहत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है:
- (i) विश्वविद्यालय को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जहां विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी ज्यादती के मामले में छात्र अपील कर सकें।
- (ii) व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित काउंसलर्स सिहत परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जो छात्रों, शोध छात्रों तथा गैर-शिक्षण स्टाफ सिहत संकाय को सेवाएं प्रदान करेंगे।
- (iii) निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिनका नेतृत्व उन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाए जो छात्रों द्वारा अध्ययन किए जा रहे विषयों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

- (iv) यूजीसी (उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में साम्यता का संवर्धन) विनियम, 2012 के अनुसार भेदभाव-रोधी अधिकारी के नेतृत्व में एक समान अवसर प्रकोष्ठ को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।
- (v) यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 के अनुसार लोकपाल की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- (vi) जनहित याचिका सं.106/2013 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में दिए गए सभी निर्देशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- जांच आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को और प्रभावी बनाने के लिए, सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त सिफारिशें/उपाय अनुमोदित किए गए हैं: (i)
 - अच्छे अनुकूलन के लिए सुदृढ़ प्रवेश कार्यक्रम।
 - बाहरी छात्रों के लिए स्थानीय अभिभावक प्रणाली (जहां तक संभव हो) की (ii) व्यवस्था करना।
 - साप्ताहिक आधार पर शिकायतों पर चर्चा करना और उनका निवारण करना तथा (iii) कुलपति द्वारा मासिक आधार पर बैठकें आयोजित करना। (iv) .
 - शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारी शिक्षा प्रदान करना।
 - डीन, विभाग की समस्याओं को निकट से मॉनीटर करेंगे। कोई भी गंभीर मामला (V) तत्काल कुलपति की नोटिस में लाया जाएगा।
- विश्वविद्यालय को मेंटरों के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त छात्र स्वयं (vi) सेवकों का चयन करना जो नए छात्रों की सहायता करेंगे।
- छात्रावासों में प्रभावी प्रशासन और पर्यवेक्षण तथा होस्टल प्रवेश नियमावली एवं विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करना ताकि केवल वर्तमान छात्रों को ही होस्टलों में ठहरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा होस्टल आवास आबंटित किया जा सके।
- सरकार ने आगे यह भी निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनरोध किया जाए कि वे इस मंत्रालय को अवगत कराते हुए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उपर्युक्त सभी सिफारिशों के तत्काल कार्यान्वयन हेतु परिचालित करें। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में यूजीसी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इसकी निगरानी करे और अनुपालन सुनिश्चित करे।

आपका,

(डॉ. सुखबीर सिंह सध्) संयुक्त सचिव भारत सरकार, दूरभाष:23381097



प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू ^{सचिव}

Prof. Dr. Jaspal Q. Qandhu MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAISM, FFIMS, FAMS Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(मानव संसाघन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23239337, 23236288, Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

BY SPEED POST

D.O.No.F.1-1/2016(CU)

15th December, 2016

Dear

15 DEC 2016

The Ministry of Human Resource Development, Government of India vide its letter No. F.7-5/2016 Desk.U dated 8th December, 2016 has asked the University Grants Commission to circulate the recommendations as below to all Central Universities for immediate compliance.

- 2. The Government of India had set up a Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retd.) to inquire into the events at the University of Hyderabad, culminating in the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar in the University of Hyderabad vide Notification No. S.O. 325 (E) dated 2.2.2016. One of the terms of reference of the Commission was to review the existing grievance redressal mechanism for students at the University, and to suggest improvements.
- 3. The Commission has submitted its report and the following recommendations made by it have been accepted by the Government for implementation in all the Central Universities, including the University of Hyderabad:
 - (i) The university should evolve a mechanism where the students can appeal in case there is any excess by the university.
 - (ii) Counselling Centres consisting of professionally trained counsellors should be set up which shall provide services to students, research scholars and faculty including non-teaching staff.
 - (iii) Monitoring Committees should be constituted which should be headed by the supervisors who would provide guidance on the matters related to the subjects studied by the students.
 - (iv) Equal opportunity cell headed by the Anti-discrimination Officer as per the UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations 2012 should be made functional.
 - (v) Grievance Redressal Committee headed by the Ombudsman as per the UGC (Grievance Redressal) Regulations 2012 should be made effective.
 - (vi) All the directives in the orders passed by the High Court of Andhra Pradesh in PIL No. 106/2013 should be implemented.

Contd....p/2.

- 4. In order to further strengthen the above recommendations of the Commission of Inquiry, the following additional recommendations/measures have been approved by the Government for implementation in all the Central Universities:
 - (i) Strong induction programme for better acclimatisation.
 - (ii) Establish (as far as possible) local guardian system for outstation students.
 - (iii) Grievances to be discussed and dispensed with on weekly basis and Vice Chancellor to hold meetings on monthly basis.
 - (iv) Remedial teaching for academically weak students.
 - (v) Deans to closely monitor Department problems. Any serious issue to be brought to the notice of Vice Chancellor immediately.
 - (vi) University to select suitable student volunteers to act as mentors and help freshers.
 - (vii) Effective administration and supervision of Hostels and strict compliance of Hostel Admission Rules and Regulations so that only current students allotted hostel accommodation by the University stay in the hostels.
- 5. This issue is of utmost importance as such I seek your personal indulgence in ensuring immediate compliance by your esteemed University as well as the affiliated colleges under your university's jurisdiction and Action Taken Report may please be sent to UGC by email (socu.ugc@gmail.com) for onward transmission to the MHRD.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellor of all Central Universities as per list attached.

ISSUED



14	13	12	11	10	9	00	7	6	5	4	ω	2	بر	No.
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University	Mizoram University	Nagaland University	Tezpur University	Assam University	Visva Bharati	Pondicherry University	North Eastern Hill University	Jawaharlal Nehru University	Jamia Millia Islamia	University of Hyderabad	University of Delhi	Banaras Hindu University	Aligarh Muslim University	Name of University
Vidya Vihar, Rae Bareily Road	Post Box No.910	Campus Kohima - 797 001	Distt. Sonitpur, P.B.No.72	P.O. Assam University	Shantiniketan - 731235	R. Venkataraman Nagar	NEHU Campus	New Mehrauli Road	Jamia Nagar	P.O. Central University Campus	Delhi - 110 007.	Varanasi - 221 005.	Aligarh - 202 002	Address1
Lucknow - 226 025.	Aizwal - 796 012	Headquarter Lumani	Tezpur - 784 001	Silchar - 788 011	West Bengal	Kalapet	Shillong - 793 022.	New Delhi - 110 067	New Delhi - 110 025.	Hyderabad - 500 046.				Address2
	Mizoram	Nagaland		Assam		Puducherry - 605 014				Andhra Pradesh				Address3
Prof. R.C. Sobti	Prof. R. Lalthantluanga	Prof. N.S. Jamir	Prof. Mihir K. Chaudhuri	Prof. Raju R. Dhamala	Dr. Swapan Datta	Dr. (Prof.) Anisa Basheer Khan	Prof. Sri Krishna Srivastava	Dr. M. Jagadesh Kumar	Prof. Talat Ahmad	Prof. Appa Rao Podile	Prof. Yogesh Kumar Tyagi	Prof. Girish Chandra Tripathi	Lt. Gen. Zameer Uddin Shah	Name of Vice Chancellor
Prof. Sobti	Prof. Lalthantluanga	Prof. Jamir	Prof. Chaudhuri	Prof. Dhamala	Dr. Datta	Dr. Khan	Prof. Srivastava	Dr. Kumar	Prof. Ahmad	Prof. Podile	Prof. Tyagi	Prof. Tripathi	Gen. Shah	Surname of Vice Chancellor

27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	SI.
Central University of Tamil Nadu	Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University	Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya	Guru Ghasidas Vishwavidyalaya	Indira Gandhi National Tribal University	Sikkim University	English and Foreign Languages University,	Tripura University,	Rajiv Gandhi University	Manipur University	University of Allahabad	Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya	Maulana Azad National Urdu University	Name of University
Neelakudi Campus	Srinagar,	Sagar,	Bilaspur,	Makal Sadan, Amarkantak – 484 886,	6 th Mile, Samdur,	Osmania University Campus,	Suryamaninagar,	Rono Hills, Doimukh	Canchipur	Allahabad - 211 002	Gandhi Hill, Post - Hindi Vishwavidyalaya	Gachibowli	Address1
Kangalancherry (Post)	Garhwal -246 174	Madhya Pradesh – 470 003	Chhatisgarh - 495 009		P.O. Tadong- 737 102	Hyderabad- 500 007	Tripura – 799 130	Itanagar – 791 111	Imphal – 795 003	Uttar Pradesh	Wardha – 442 005	Hyderabad - 500 032	Address2
Thiruvarur – 610 101	Uttarakhand			Madhya Pradesh	Gangtok, Sikkim			Arunachal Pradesh	Manipur		Maharashtra		Address3
Prof. A.P. Dash	Prof. Jawahar Lal Kaul	Prof. R.P. Tiwari	Prof. Anjila Gupta	Prof. T.V. Kattimani	Prof. Tanka Bahadur Subba	Dr. (Mrs.) Sunaina Singh	Prof. Anjan Kumar Ghosh	Prof. Tamo Mibang	Prof. Adya Prasad Pandey	Prof. R.L. Hangloo	Prof. Girishwar Mishra	Dr. Mohammad Aslam Parvaiz	Name of Vice Chancellor
Prof. Dash	Prof. Kaul	Prof. Tiwari	Prof. Gupta	Prof. Kattimani	Prof. Subba	Prof. Singh	Prof. Ghosh	Prof. Mibang	Prof. Pandey	Prof. Hangloo	Prof. Mishra	Dr. Parvaiz	Surname of Vice Chancellor

		40	38	37	36	35	34		#	32	30	29	20	No.
	University	Mahatma Gandhi Gantal	Central University of Gujarat	Central University of South Bihar	Central University of Haryana	Central University of Himachal Pradesh	Central University of Kashmir	Ceitudi Olliversily of Jharkhand	Central I Investity of Ibedit	Central University of Kerala	Central University of Orissa	Central University of Punjab	central University of Rajasthan	Controlled of Oliversity
	Circuit House	Bagla (Rahya-Suchani	Near Jalaram Temple	BIT Campus – Patna	Jant-Pali Villages	PO Box No. 21,	Sonwar (Near G.B.Pant Hospital),	Brambe, Mander,	Saudha,	BKM Towers, Nayanmar Moola,	Landiguda, Koraput	D-13, Civil Station,	NH-8, Bandar Sindri,	
Champaran	Motihari, District – East	District Samba	Sector – 29	P.O.B.V. College	Mahendergarh	Dharamashala Dist – Kangra	Srinagar – 190004	Lohardaga Road, Ranchi	University,		Odisha – 764 020	Bathinda – 151 001	Distt- Ajmer- 305801	Address2
	Bihar – 845 401.	Jammu – 181 143 (J & K)	Gandhinagar – 382 029	Patna – 800 014 (Bihar)	Haryana - 123029	Himachal Pradesh – 176 215	Jammu & Kashmir	Jharkhand – 835 205	Gulbarga – 585 106	Kasaragod – 671 123			Rajasthan	Address3
	Prof. Arvind Kumar Agrawal	Prof. Ashok Aima	Prof. S.A. Bari	Prof. Harish Chandra Singh Rathore	Prof. R.C. Kuhad	Prof. (Dr.) Kuldeep Chand Agnihotri	Prof. Mehraj-Ud-din Mir	Prof. Nand Kumar Yadav	Prof. H.M. Maheshwaraiah	Prof. Gopakumar G.	Prof. Sachidananda Mohanty	Prof. R.K. Kohli	Prof. Arun Kumar Pujari	Name of Vice Chancellor
	Prof. Agrawal	Prof. Aima	Prof. Bari	Prof. Rathore	Prof. Kuhad	Prof. Agnihotri	Prof. Mir	Prof. Yadav	Prof. Maheshwaraiah	Prof. Gopakumar	Prof. Mohanty	Prof. Kohli	Prof. Pujari	Surname of Vice Chancellor



प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू ^{सचिव}

Prof. Dr. Jaspal O. Sandhu MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(मानव संसाघन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23239337, 23236288, Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

त्वरित डाक द्वारा

अ.शा.प.सं.1-1/2016 (केन्द्रिय विश्वविद्यालय)

प्रिय कुलपति महोदय/महोदया,

दिनॉक: 14 दिसम्बर, 2016

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ.7-5/2016-डेस्क यू. दिनांकित 08 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित संस्तुतियों को समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुपालनार्थ परिचालित किये जाने का अनुरोध किया है।

- 2. भारत सरकार ने अधिसूचना सं.एस.ओ.325 (ई) दिनाँक 2 फरवरी, 2016 के तहत हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की मृत्यु के संबंध में घटी घटनाओं की जाँच हेतु न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत) वाले एक जाँच आयोग का गठन किया था। इस जाँच आयोग के विचारार्थ विषयों में विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु मौजूदा शिकायत निवावरण तंत्र की समीक्षा करना और सुधार हेतु सुझाव देना भी था।
- 3. इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसके द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों को सरकार द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है:
 - (i) विश्वविद्यालय को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जहां विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी ज्यादती के मामले में छात्र अपील कर सकें।
 - (ii) व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित काउंसलर्स सहित परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जो छात्रों, शोध छात्रों तथा गैर-शिक्षण स्टाफ सहित संकाय को सेवाएं प्रदान करेंगे।
- (iii) निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिनका नेतृत्व उन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाए जो छात्रों द्वारा अध्ययन किए जा रहे विषयों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- (iv) यूजीसी (उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में साम्यता का संवर्धन) विनियम, 2012 के अनुसार भेदभाव-रोधी अधिकारी के नेतृत्व में एक समान अवसर प्रकोष्ठ को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।
- (v) यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 के अनुसार लोकपाल की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- (vi) जनिहत याचिका सं.106/2013 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में दिए गए सभी निर्देशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- 4. जांच आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को और प्रभावी बनाने के लिए, सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त सिफारिशें/उपाय अनुमोदित किए गए हैं:
 - (i) अच्छे अनुकूलन के लिए सुदृढ़ प्रवेश कार्यक्रम।
 - (ii) बाहरी छात्रों के लिए स्थानीय अभिभावक प्रणाली (जहां तक संभव हो) की व्यवस्था करना।
 - (iii) साप्ताहिक आधार पर शिकायतों पर चर्चा करना और उनका निवारण करना तथा कुलपति द्वारा मासिक आधार पर बैठकें आयोजित करना।
 - (iv) शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारी शिक्षा प्रदान करना।
 - (v) डीन, विभाग की समस्याओं को निकट से मॉनीटर करेंगे। कोई भी गंभीर मामला तत्काल कुलपति की नोटिस में लाया जाएगा।
 - (vi) विश्वविद्यालय को मेंटरों के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त छात्र स्वयं सेवकों का चयन करना जो नए छात्रों की सहायता करेंगे।
 - (vii) छात्रावासों में प्रभावी प्रशासन और पर्यवेक्षण तथा होस्टल प्रवेश नियमावली एवं विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करना तािक केवल वर्तमान छात्रों को ही होस्टलों में ठहरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा होस्टल आवास आबंटित किया जा सके।
- 5. इस अति-महत्वपूर्ण विषय पर आपके विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपरोक्त संस्तुतियों के तत्काल कार्यान्वयन हेतु आपका व्यक्तिगत अनुग्रह आपेक्षित है। आपसे अनुरोध है कि कृत कार्यवाही का विवरण मंत्रालय के सूचनार्थ ई-मेल (socu.ugc@gmail.com) के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रेषित करें।

सादर,

भवदीय,

J21410 26

(जसपाल सिंह संध्)

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति

8/C



SI. No.	Name of Central University
1.	लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) ज़मीर उद्दीन शाह, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ - 202 002
2.	प्रो. गिरीश चंद्र त्रिपाठी, कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी - 221 005.
3.	प्रो. योगेश कुमार त्यागी, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110 007.
4.	प्रो. अप्पा राव पोडिल, कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 046
5.	प्रो. तलत अहमद, कुलपति, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110 025
6.	डॉ. एम. जगदीश कुमार, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई मेहरौली रोड, नई दिल्ली - 110 067
7.	डॉ. श्री कृष्णा श्रीवास्तव, कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, नेहु कैंपस, शिलांग - 793 022.
8.	प्रो. अनीसा बशीर खान, कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन नगर, कलपेट, पुडुचेरी - 605 014
9.	डॉ. स्वपन दत्ता, कुलपति, विश्व भारती, शांतिनिकेतन - 731 235, वेस्ट बंगाल
10.	प्रो. दिलीप चंद्र नाथ, कुलपति, असम विश्वविद्यालय, पो.ओ असम विश्वविद्यालय, सिलचर - 788 011, असम
11.	प्रो. मिहिर के. चौधरी, कुलपति, तेज़पुर विश्वविद्यालय, डिस्ट. सोनितपुर, पो. बॉक्स न.72, तेज़पुर - 784 001
12.	प्रो. एन. एस. जमीर, कुलपति, नागालैंड विश्वविद्यालय, कैंपस कोहिमा - 797 001, तुमनी मुख्यालय, नागालैंड
13.	प्रो. आर. लालथाणतलुआंगा, कुलपति, मिजोरम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स न.910, आइजोल - 796012, मिजोरम
14.	प्रो. आर. सी. सोबती, कुलपति, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, राय बरेली रोड, लखनऊ - 226 025.
15.	डॉ. मोहम्मद असलम परवेज, कुलपति, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबौवली, हैदराबाद - 500 032
16.	प्रो. गिरीश्वर मिश्रा, कुलपति, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गाँधी हिल्स पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442 005, महाराष्ट्र
17.	प्रो. आर. एल. हंगलू, कुलपति, इलाहबाद विश्वविद्यालय, इलाहबाद - 211 002, उत्तर प्रदेश
18.	प्रो. ए. पी. पांडेय, कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल - 795 003, मणिपुर
19.	प्रो. तमो मिबांग, कुलपति, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोइमुख, ईटानगर - 791 111, अरुणाचल प्रदेश
20.	प्रो. अंजन कुमार घोष, कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणीनगर, त्रिपुरा - 799 130
21.	डॉ. सुनैना सिंह, कुलपति, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी

	कैंपस, हैदराबाद - 500 007
22	
23.	
24.	
25.	003
26.	प्रो. जवाहर लाल कौल, कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल -246 174, उत्तराखंड
27.	प्रो. ए. पी. दाश, कुलपति, तमिल नाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुडी कैंपस, कंगालनचेरी (पोस्ट), तिरुवरुर - 610 101
28.	प्रो. अरुण कुमार पुजारी, कुलपति, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, रा.राजमार्ग - 8, बांदेर सिंदरी, जिला - अजमेर -305801, राजस्थान
29.	प्रो. आर. के. कोहली, कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, मनसा रोड, बठिंडा - 151 001
30.	प्रो. सचिदानंद मोहंती, कुलपति, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, लैण्डिगुड़ा, कोरापुट, ओडिशा - 764 020
31.	प्रो. जी. गोपाकुमार, कुलपति, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.के.एम. टावर्स, नयन्मार मूला, विद्यानगर पो.ओ. कासरगोइ - 671 123 (केरल)
32.	प्रो. एच. एम. महेश्वरया, कुलपति, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कड़ागणचि, अलांद रोड, अलांद तालुक, गुलबर्गा (जिला) - 585311, कर्नाटक
33.	प्रो. नन्द कुमार यादव 'इंदु', कुलपति, झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहरदगा रोड, ब्राम्बे, रांची - 835 205, झारखण्ड
34.	प्रो. अशोक ऐमा, कुलपति, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, बागला (रहया-सुचानी), जिला साम्बा, जम्मू - 181 143, जम्मू और कश्मीर
35.	प्रो. महराज-उद-दीन मीर, कुलपति, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैंपस : सोनवार, नियर जी.बी. पंत अस्पताल, श्रीनगर - 190 005, जम्मू और कश्मीर
36.	प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री, कुलपति, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पी. ओ. बॉक्स न. 21, धर्मशाला, जिला - कांगरा, हिमाचल प्रदेश - 176 215
37.	प्रो. आर. सी. कुहाड, कुलपति, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जंत-पाली गाँव, महेंद्रगढ़, हरियाणा - 123029
38.	प्रो. हरीश चंद्र सिंह राठौर, कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी.आई.टी. कैंपस - पटना, पी.ओ. बी.वी. कॉलेज, पटना - 800014, बिहार
39.	प्रों. एस. ए. बारी, कुलपति, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, नियर जालाराम मंदिर, सेक्टर - 29, गाँधीनगर - 382 029, गुजरात
40.	प्रो. अरविन्द कुमार अग्रवाल, कुलपति, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, कैंप ऑफिस : अपोजिट सर्किट हाउस, मोतिहारी, जिला - पूर्वी चंपारण, बिहार - 845 401.